लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २७, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXVII, 1964/1885 (Saka)

[९ से २० मार्च, १९६४/१९ से ३० फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[March 9 to 20, 1964/ Phalguna 19 to 30, 1885 (Saka)]

Preservation
Fumigated On 14.12.83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

(Vol. XXVII contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक २३— बुधवार, ११ मार्च, १९६४ / २१ फाल्गुन, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	विषय	पृष्ठ
*तारांकित प्रश्न संख्या		
५२२	पादप रसायन संयंत्र	१७५३—५५
५२३	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और भारतीय पेट्रोलियम संस्था	१७५५—५८
५२४	प्राण दंड	१७५८—५९
५२५	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	१७६०—६२
५२६	प्राथमिक शिक्षा	१७६२—६४
५२७	घरेलू इंधन गैस	१७६४—६६
५२८	ज्वालामुखी में खुदाई	१७६६—६७
५३०	शिक्षा तथा रोजगार के अवसर	१७६७—६९
५३१	कलकत्ता पुलिस दल	१७६९—७१
५३४	हिमालय की जड़ी बूटियां	१७७१—७३
५३५	कलकत्ता में जासूसों का गिरोह	१७७३—७७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
७	अम्बाला जेल में एक संसद् सदस्य के साथ किया गया व्यवहार	१७७७—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१७८३—१८०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
५२९	गुज्जर कल्याण बोर्ड	१७८३
५३२	लारेंस स्कूल	१७८३
५३३	जम्मू तथा काश्मीर में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	१७८४
५३६	स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास	१७८४
५३७	"वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज"	१७८४—८५

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 23— *Wednesday, March* 11, 1964/*Phalguna* 21, 1885 (*Saka*)

Subject	Page
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1753—83
**Starred Question Nos.*	
522. Phyto-Chemical Plant	1753—55
523. C.S. & I.R. and Indian Institute of Petroleum	1755—58
524. Capital Punishment	1758-59
525. National Discipline Scheme	1760—62
526. Primary Education	1762—64
527. Domestic Fuel Gas	1764—66
528. Drilling in Jwalamukhi	1766-67
530. Education and Employment Opportunities	1767—69
531. Calcutta Police Force	1769—71
534. Himalayan Medicinal Herbs	1771—73
535. Spy Ring in Calcutta	1773—77
Short Notice Question No.	
7 Treatment to an M.P. in Ambala Jail	1777—83
WRITTERN ANSWERS TO QUESTIONS	1783—1803
Starred Question Nos.	
529. Gujjar Welfare Board	1783
532. Lewrence Schools	1783
533. Deputation of Officers to Jammu & Kashmir	1784
536. History of Freedom Movement	1784
537. "Science Talent Search"	1784—85

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५३८	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की पुनर्विलोकन समिति . . .	१७८६
५३९	सिनेमा घरों में राष्ट्रगान . .	१७८६
५४०	कच्छ क्षेत्र में तेल की संभावनायें . .	१७८७
५४१	दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा .	१७८७

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०३८	सेक्शन आफिसर .	१७८७
१०३९	विद्यार्थियों का नामांकन	१७८८
१०४०	विश्वविद्यालयों में प्रवेश	१७८८–८९
१०४१	अंडमान श्रम बल	१७८९
१०४२	पुस्तकालय विज्ञान संस्था	१७९०
१०४३	अध्यापक-प्रशिक्षण कालिजों में पुस्तकालय-विज्ञान . .	१७९०
१०४४	कालिज पुस्तकालयाध्यक्ष . . .	१७९०
१०४५	उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय स्कूल . .	१७९१
१०४६	समितियां	१७९१
१०४७	आन्ध्र प्रदेश में पोलीटेक्नीक .	१७९१–९२
१०४८	गोल्फ	१७९२
१०४९	टोकियो आलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी	१७९३
१०५०	सेक्शन अफसरों की तालिका . . .	१७९३
१०५१	उड़ीसा को सांस्कृतिक अनुदान . .	१७९३–९४
१०५२	उड़ीसा में जूनियर टेक्निकल स्कूल . . .	१७९४
१०५३	चण्डीगढ़ में भारत-स्विट्जरलैंड प्रशिक्षण केन्द्र . .	१७९४–९५
१०५४	सरकारी कर्मचारी आचरण नियम .	१७९५
१०५५	चाय अनुसन्धान संस्था . .	१८९५–९६
१०५६	जिला विवरणिकाएं . .	१७९६
१०५७	राज्य विवरणिकाएं	१७९६
१०५८	कारतूस आदि	१७९६–९७
१०५९	मृत्यु दंड में परिवर्तन	१७९७
१०६०	भारत को अमरीकी अनुसन्धान अनुदान . . .	१७९७
१०६१	केन्द्र में राज्य सरकार के अधिकारी .	१७९७–९८

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question No.	Subject	Page
538.	Reviewing Committee for C.S. & I.R.	1716
539.	Playing of National Anthem in Cinema Houses	1786
540.	Oil Prospects in Kutch Area	1787
541.	Correspondence Course at Delhi University	1787

Unstarred Question Nos.		
1038.	Section Officers	1787
1039.	Enrolment of Students	1788
1040.	Admissions in Universities	1788—89
1041.	Andaman Labour Force	1789
1042.	Institute of Library Science	1790
1043.	Library Science in Teachers' Training Colleges	1790
1044.	College Librarians	1790
1045.	Library Schools in U.P.	1791
1046.	Committees	179
1047.	Polytechnics in Andhra Pradesh	1791—92
1048.	Golf	1792
1049.	Indian Contingent to Tokyo Olympic Games	1793
1050.	Panel for Section Officers	1793
1051.	Cultural Grants to Orissa	1793—94
1052.	Junior Technical Schools in Orissa	1794
1053.	Indo-Swiss Training Centre at Chandigarh	1794—95
1054.	Government Servants Conduct Rules	1795
1055.	Tea Research Association	1795—96
1056.	Distt. Gazetteers	1796
1057.	State Gazetteers	1796
1058.	Ammunition	1796—97
1059.	Commutation of Death Sentences	1797
1060.	U.S. Research Grant to India	1797
1061.	State Government Officers in Centre	1797—98

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०६२	दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी का पढ़ाया जाना	१७६८
१०६३	दादा साहेब खारपर्डे की डायरियां	१७६८–६६
१०६४	पोर्ट ब्लेयर की नगरपालिका के लिये चुनाव	१७६६
१०६५	अन्दमान के बारे में विनियम	१७६६
१०६६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता	१७६६–१८००
१०६७	पंजाब उच्च न्यायालय में लम्बित मामले	१८००
१०६८	भारत में क्रिकेट के पिच	१८००
१०६९	महिलाओं के लिए छात्रवृत्तियां	१८००
१०७०	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	१८००–१
१०७१	बरौनी में कोक निस्तापन परियोजना	१८०१
१०७२	अन्दमान और निकोबार प्रशासन की अधिसूचनायें	१८०१
१०७३	विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	१८०२
१०७४	रांची में तकनीकी प्रशिक्षण संस्था	१८०३
१०७५	कोयली तेल शोधक कारखाने के लिए पुर्जे	१८०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८०३–०५

विधेयक पर राय १८०५

राज्य सभा से सन्देश १८०५

अम्बाला जेल में एक सदस्य के साथ किये गये बर्ताव के बारे में १८०६–०७

अनुदानों की अनपूरक मांगें (सामान्य), १९६३–६४ १८०७–१५

श्री विश्राम प्रसाद १८०७
श्री च० का० भट्टाचार्य १८०७
श्री शिवमूर्ति स्वामी १८०७–०९
श्री किशन पटनायक . . . १८०९
श्री हिम्मत सिंह का १८०९
श्री यशपाल सिंह . १८१०
श्री शिन्दे . . . १८१०
श्री बड़े . . . १८१०–११
श्री मोहसिन . . . १८११
श्री ह० चं० सोय . . . १८१२
श्री त्यागी १८१२
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा १८१२–१५

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION—contd

Unstarred Question Nos.	Subject	PAGE
1062.	Teaching Panjabi in Delhi Schools	1798
1063.	Diaries of Dada Saheb Kharparde	1798—99
1064.	Elections to Municipal Board, Port Blair	1799
1065.	Regulations *re* Andamans	1799
1066.	Legal Aid to S.C.s and S.T.s	1799—1800
1067.	Cases pending in Punjab High Court	1800
1068.	Cricket Pitches in India	1800
1069.	Scholarships for Women	1800
1070.	Central Secretariat Service	1800—01
1071.	Coke Calcination Project at Barauni	1801
1072.	Notifications of Andaman and Nicobar Administration	1801
1073.	Scholarships Studies Abroad	1802
1074.	Technical Training Institute in Ranchi	1803
1075.	Spare Parts for Koyali Refinery	1803

Papers laid on the Table . . . 1803—05

Opinion on Bill . . . 1805

Message from Rajya Sabha . . . 1805

Re Treatment to an M. P. in Ambala Jail . . . 1806—07

Demands for Supplementary grants (General), 1963-64 . . . 1807—15

- Shri Vishram Prasad . . . 1807
- Shri C. K. Bhattacharyya . . . 1807
- Shri Sivamurthi Swamy . . . 1807—09
- Shri Kishen Pattnayak . . . 1809
- Shri Himatsingka . . . 1809
- Shri Yashpal Singh . . . 1810
- Shri Shinde . . . 1810
- Shri Bade . . . 1810—11
- Shri Mohsin . . . 1811
- Shri H. C. Soy . . . 1812
- Shri Tyagi . . . 1812
- Shrimati Tarkeshwari Sinha . . . 1812—1815

विषय	पृष्ठ
विनियोग विधेयक, १९६४--पारित	१८१६–१७
अनुदानों की मांग	१८१७–३१
शिक्षा मंत्रालय	१८१७–१९
श्री मी० रु० मसानी	१८१९–२०
श्री वासुदेवन नायर	१८२०–२१
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	१८२१–२२
श्री मुथिया	१८२२–२३
डा० महादेव प्रसाद	१८२३–२४
श्री काशी राम गुप्त	१८२४–२५
डा० च० भा० सिंह	१८२५–२६
श्री यु० सिं० चौधरी	१८२६–२७
श्री अ० ना० विद्यालंकार	१८२७–२८
श्री जोकीम आल्वा	१८२८–३०
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	१८३०–३१

Subject	Page
Appropriation Bill, 1963-64—Passed	1816—17
Demands for Grants, 1964-65	1817—31
Ministry of Education	1817—19
Shri M. R. Masani	1819—20
Shri Vasudevan Nair	1820—21
Shri Sidheshwar Prasad	1821—22
Shri Muthiah	1822—23
Dr. Mahadeva Prasad	1823—24
Shri Kashi Ram Gupta	1824—25
Shri Chandrabhan Singh	1825—26
Shri Y.S. Chaudhary	1826—27
Shri A. N. Vidyalankar	1827—28
Shri Joachim Alva	1828—30
Shrimati Jyotsna Chanda	1830—31

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2714 (ai) LSD—1

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, ११ मार्च, १९६४ / २१ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Wednesday, March 11, 1964/*Phalguna* 21, 1885 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Speaker in the chair.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पादपरसायन संयंत्र

\+

*५२२. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड" ने केरल राज्य में पादप-रसायन संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में इस बीच कोई प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) "इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड" द्वारा मामले की अभी जांच की जा रही है ।

श्री वारियर : क्या सरकार का ध्यान रूस के संसदीय शिष्ट मंडल, जो कि भारत आया था, के नेता के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि यह संयंत्र सुकर एवम् समर्थकारी है तथा यह शीघ्र ही केरल में स्थापित किया जा सकता है ?

श्री अलगेशन : मुझे खेद है कि मैंने उस वक्तव्य को नहीं पढ़ा है। परन्तु जैसा कि मैंने बताया मामला इस समय विचाराधीन है।

श्री वारियर : सरकार कब तक यह आशा करती है कि पादपरसायन के लिये केरल में एक लाभकारी परियोजना चालू हो सकेगी ?

श्री अलगेशन : इसके आर्थिक पहलू के बारे में बताना जरा कुछ कठिन है। "टांप ट्री प्रूनिंग्स"[1]; जैसा कि इन्हें कहा जाता है क्या प्रारम्भिक व्यय अधिक हो जाने के कारण परियोजना की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और यही कारण है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र उलाका : इस बात को देखते हुए कि सम्पूर्ण संयंत्र में आमूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रूस के विशेषज्ञों ने कोई नया सुझाव दिया है और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

श्री अलगेशन : एक समय इस पर विचार किया गया था कि केवल निम्न कोटि का चाय से काम चल जायेगा और उस प्रयोजन के लिए कोई तरीका खोज निकाला जायेगा। रूस के विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह ली गई थी जिनका यह विचार था कि उन्हें अनुसंधान करने तथा तरीके को अन्तिम रूप दे कर हमें बताने में एक वर्ष का समय लग जायेगा परन्तु वह भी विचाराधीन है क्योंकि निम्नकोटि की चाय का मूल्य भी अधिक ही बैठता है।

श्री धुलेश्वर मीना : केरल राज्य में इस संयंत्र की स्थापना के लिये रूस की सरकार ने किस प्रकार की तथा कितनी सहायता प्रदान की है ?

श्री अलगेशन : अभी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाये हैं। हां, वहां की सरकार परियोजना के लिए सहायता प्रदान करने के लिये तैयार थी। उसने तीन अन्य परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है और ये परियोजनायें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : १९५८ में रूस के विशेषज्ञों के शिष्टमंडल का यात्रा के दौरान जिन चार परियोजनाओं के बारे में उन्हें विश्वास था और जिनके लिये उन्होंने कहा था कि वे चालू की जा सकती हैं उनमें यह परियोजना भी शामिल थी। इन तीन परियोजनाओं का चालू किये जाने के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसको देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना के नित्पादन में बिलम्ब क्यों हो रहा है ?

[1]Top Tree Prunings

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। प्रथमतः तो स्वयं यह परियोजना ही "टांप टी प्रूनिंग्स' के किसी विशेष मूल्य पर आधारित थी जो अब बहुत अधिक हो गया है। अतः इसके परिणामस्वरूप आयातित उत्पादन अथवा देश में तैयार किये गये उत्पाद के मूल्य की तुलना में इस उत्पाद का मूल्य कहीं अधिक होगा।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और भारतीय पेट्रोलियम संस्था

+
*५२३. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री मोहन स्वरूप : }

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में ३३ प्रतिशत पद और भारतीय पैट्रोलियम संस्था में २० प्रतिशत पद इस कारण खाली पड़े हैं क्योंकि योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री श्री मु० क० चागला : (क) और (ख) तत्सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shri Vishram Prasad : It is a fact that about twelve posts of Deputy Directors and Directors in the Council of Scientific and Industrial Research have been filled up and promotions made according to the choice of the Director General ?

Shri M. C. Chagla : All the promotions have been made with the approval of the Selection Committee.

Shri Vishram Prasad : Is it a fact that in this Council there are some research workers who are of the age of even 64 years and they have been appointed according to the wish of the Director General? If so, what Government propose to do in the matter ?

Shri M. C. Chagla : The rule is that a Director should retire at the age of 60. Further extension can be granted to him for 2 years, upto the age of 62. Except for three or four Directors, who are outstanding scientists and who are more than 60 years of age, all others are below 60.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री जी को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि वर्तमान विभाग में अनेक पद खाली पड़े हैं। वर्तमान कर्मचारियों में से बहुत से कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया गया है ?

श्री मु० क० चागला : इस बारे में कि किसी कर्मचारी के साथ न्याय नहीं किया गया है मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है।

खाली पदों के बारे में यह है कि हम यथासंभव शीघ्र चुनाव समिति की बैठक बुलाते रहते हैं तथा इस समिति की सहायता से प्रत्येक रिक्त पद भरा जाता है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि वैज्ञानिकों को अच्छे वेतन न दिये जाने के कारण ही उनकी कमी है ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं। बहुत अच्छे वेतन दिये जाते हैं। हमारे वैज्ञानिक बहुत देशभक्त हैं तथा मुझे ऐसे किसी एक मामले का भी पता नहीं है जब कि कोई वैज्ञानिक जो वेतन उसको दिया गया हो, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार न हुआ हो।

Shri Sidheshwar Prasad : Has it come to the notice of the government that a huge amount has been spent in furnishing the office room of a high officer of the Council of Scientific and Industrial Research ? If so, how far is it correct?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो कमरे के सजाने में क्या कुछ खर्च किया गया है उसके बारे में मैं एक विवरण सभा पटल पर रख दूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri : The furniture has been bought from Hyderabad.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने यह पता लगाने की चेष्ठा की है कि हमारे योग्यता प्राप्त तथा प्रशिक्षित कितने वैज्ञानिक विदेशों में काम कर रहे हैं और यदि हां, तो किन देशों में ? क्या सरकार ने उनको कोई प्रोत्साहन देने की दिशा में कुछ किया है ताकि वे अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए वापस लौटकर यहां आ जायें ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां,। हमने एक "वैज्ञानिक पूल" बनाया हुआ है जो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। हमारे बहुत से विदेश स्थित वैज्ञानिक इस "पूल" में आने के लिए तैयार हो गये हैं। जब वे एक बार पूल में आ जाते हैं, तो उनको प्रयोगशालाओं अथवा विश्वविद्यालयों में पद दिये जाते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न यह था कि विदेशों में कितने काम कर रहे हैं तथा किन देशों में और उनको वापिस यहां बुलाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : देशों के नाम तथा प्रत्येक देश में कितने-कितने हैं, यह बताना क्या कोई संभव है ?

श्री हरि विष्णु कामत : तो फिर यही बता दिया जाए कि उनको वापिस बुलाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : प्रोत्साहन दिये जाते हैं। उन्हें "वैज्ञानिक पूल" में रखा जाता है। हम उन्हें अच्छा वेतन देते हैं तथा प्रयोगशालाओं अथवा विश्वविद्यालयों में नौकरियां देने का प्रयत्न करते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सामूहिक रूप से इन बाहर जाने वाले वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला कोई रजिस्टर सरकार रखती है ? यदि हां, तो क्या उपबन्ध जानकारी के आधार पर यह आवश्यक हो गया है कि इस सामूहिक बहिर्गमन के मामले की जैसा कि हाल में ही ब्रिटेन में किया गया था, कोई औपचारिक जांच की जाये ।

श्री मु० क० चागला : जी, हां। विदेश स्थित प्रत्येक मिशन—लंदन तथा वाशिंगटन स्थित मिशनों के बारे में मुझे निजी रूप से मालूम है—वैज्ञानिकों सम्बन्धी एक रजिस्टर रखता है जिसे दिल्ली भेजा जाता है । हमारे पास विदेशों में काम करने वाले वैज्ञानिकों की एक सूची भी रहती है और हम उन्हें "वैज्ञानिक पूल" में स्थान देते हैं। वे इसको स्वीकार करके यहां आते हैं। और जब तक उनको किसी प्रयोगशाला अथवा विश्वविद्यालय में स्थायी पद नहीं दिया जाता, तब तक वे "पूल" में काम करते हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमारे वैज्ञानिक स्थायी रूप से विदेश में ठहरने के लिए नहीं जाते हैं। वे वहां अध्ययन करने तथा अपने ज्ञान में वृद्धि के हेतु जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सूची से यह पता चलता है कि ऐसे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी संख्या है जिसके कारण इस मामले को जांच करना औचित्यपूर्ण होगा ? क्या यहां पर किसी कमी के कारण वे किसी न किसी रूप में वहां रहना पसन्द करते हैं ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार से यह संख्या इतनी अधिक नहीं है कि इस दिशा में कोई और कदम उठाने की आवश्यकता हो।

श्री वारियर : क्या सरकार ने भारत में गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों को सेवा की शर्तों के बारे में कोई जांच पड़ताल की है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे नहीं पता कि "गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं" से उनका क्या आशय है ? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत काम करने वाली प्रयोगशालायें गैर-सरकारी नहीं हैं ।

श्री वारियर : मेरा अर्थ तेल शोधक कारखानों से सम्बन्ध गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं, पैट्रोलियम कारखानों तथा अन्य संस्थाओं से है।

श्री मु० क० चागला : मुझे गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं के बारे में पता नहीं है ?

Shri Kishen Pattanayk : Is it a fact that even in emergency a sum of about Rs.one lakh has been spent in furnishing the office room of the Director General of CSIR? If not, would the hon. Minister clarify the position in this regard ?

Mr. Speaker : This can be taken up during discussion on Demands for Grants.

श्री त्यागी : क्या माननीय मंत्री जो सभा को यह बता सकते हैं कि सरकारी प्रयोगशालाओं अथवा संस्थाओं में इस अवधि के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण मौलिक अनुसंधान किये गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : अनेक महत्वपूर्ण खोजें की गई हैं। आपातकाल के दौरान हमारी प्रयोगशालाओं द्वारा की गई खोजों के आधार पर अनेक उन चीजों का आयात न करना संभव हो सका है जिनको कि हम विदेशों से मंगा रहे थे। यदि माननीय सदस्य ऐसी वस्तुओं के बारे में जानने के इच्छुक हों, तो मैं उन को सूची दे सकता हूं।

Shri Sheo Narain: May I know whether the young scientists working in the Universities in the country would also be given chance while filling up these 20 per cent vacancies?

Shri M. C. Chagla : Yes. Sir.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान विदेशों में काम करने वाले, विशेष रूप से अमरीका में काम करने वाले, हमारे वैज्ञानिकों के इन वक्तव्यों की ओर आकृष्ट किया गया है कि वहां पर कार्य की शर्तें यहां से अच्छी हैं तथा अनुसन्धान के लिये वहां उन्हें स्वायत्तता एवम् स्वतन्त्रता प्राप्त है और इसी लिये वे भारत वापिस आना नहीं चाहते ? यदि हां, तो स्वयं उनके द्वारा व्यक्त इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य की इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि हमारे देश की तुलना में अमरीका में अनुसंधान की शर्तें, वातावरण तथा सुविधायें अच्छी हैं परन्तु हम इन दशाओं में सुधार करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वैज्ञानिकों को विदेश से वापिस बुलाकर इस देश में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

श्री महेश्वर नायक : क्या विश्वविद्यालयों से निकलने वाले नव स्नातकों को इन संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुछ सुविधायें उपलब्ध की जा रही हैं ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय से निकलने वाले विज्ञान के स्नातकों को हम अवश्य अपनी प्रयोगशालाओं में काम करने का अवसर देते हैं।

Capital Punishment

*524. **Shri Bhagwat Jha Azad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Law Commission has submitted its recommendations regarding capital punishment; and

(b) if so, the nature of recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Bhagwat Jha Azad: Is it proposed to abolish capital punishment?

Shri Hathi: The Law Commission is pondering over this question.

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत।

श्री हरि विष्ण कामत : देश में फैले हुए चीन तथा पाकिस्तान के जासूसों तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वालों के जाल को तथा हमारे सर्वजनिक जीवन तथा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दृष्टि में रखने हुए क्या सरकार का विचार, आपातकाल के दौरान, राष्ट्र सुरक्षा तथा विशुद्ध सरकारी, प्रशासन के हित में, राजद्रोह तथा घोर भ्रष्टाचार के लिये प्राण दंड लागू करने अथवा इसके कायम रखने का है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न सुसंगत नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्यों नहीं, श्रीमान ? क्या मैं उस पर कुछ प्रकाश डाल सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक उस अनुपूरक प्रश्न पर जिसका मैं अनुमति नहीं देता हूं तर्क दिये जाने लगें तो मैं कार्यवाही नहीं चला सकता। मुझे अपनी कमियों का पता है परन्तु सभा ने मुझे कुछ उत्तरदायित्व सौंपा है जिसके अनुसार मुझे शीघ्र निर्णय लेने पड़ते हैं।

श्री त्यागी : हम आपके निर्णयों का सदैव आदर करते हैं। इस बारे में सभा को कोई शिकायत नहीं है। **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बात बिल्कुल भी नहीं थी।

श्री कपूर सिंह : श्रीमानजी, यह एक बहुत साधारण बात है। जो कुछ आपने कहा है सामान्य बुद्धि की बात है तथा इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : सभा की सहमति से मुझे प्रोत्साहन मिलता है।

श्री हेम बरुआ : मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कि इस देश में राजद्रोह के कार्य करने वालों को फांसी क्यों नहीं दी जाती है माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम प्राण दंड समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि अब सरकार प्राण दंड को समाप्त करने के बारे में क्यों सोच रही है जब कि हमें यह पता है कि हमारे कुछ देशवासी देश के हितों के विरुद्ध कार्यवाहियों में लगे हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस दूसरे रूप में पूछने की चेष्ठा की है। प्रश्न तो यह है कि क्या विधि आयोग ने प्राण दंड के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश दे दी है। अन्य अपराधों के बारे में भला कैसे पूछा जा सकता है ?

श्री हरि विष्णु कामत : हम इस को बाद में एक पृथक प्रश्न रख कर पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the Central Government has also invited the views of the State Governments on the question of abolition of the Capital punishment? If so, what are the views of the State Governments in regard thereto?

Mr. Speaker : The question only pertains to the Law Commission.

Shri Hathi : The Law Commission would make recommendations.

2677 (Ai)LSD—2.

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

+
*५२५. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में राष्ट्रीय अनुशासन योजना को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है।

(ख) उक्त अवधि में कितने नये स्कूलों और संस्थाओं ने इस योजना को चालू किया; और

(ग) इस योजना को सहायक सेना के साथ मिलाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). अलवर के समीप सारिसका स्थित राष्ट्रीय अनुशासन योजना सम्बन्धि प्रशिक्षण संस्था में १३१७ राष्ट्रीय अनशासन योजना शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्रीय अनुशासन योजना शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक और प्रशिक्षण संस्था इंदौर के समीप बरवाहा में फरवरी, १९६३ में खोली गई थी। इस वर्ष के दौरान ११९ नये स्कूलों में, जिनमें लगभग ३ लाख विद्यार्थी हैं, यह योजना चालू की गई।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है।

श्रीमती सावित्री निगम : विभिन्न स्कूलों में इस योजना को लागू करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के हेतु क्या ये दो संस्थायें पर्याप्त हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, इन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये कुछ और केन्द्र खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा दक्षिण में किसी स्थान पर कम से कम एक और केन्द्र शीघ्र ही खोला जाने वाला है ?

श्रीमती सावित्री निगम : हर बार हमें यही उत्तर दिया जाता है कि इस योजना को सहायक कैडेट कोर के साथ मिला देने का प्रश्न विचाराधीन है। इसमें और कितना समय लगेगा तथा लड़कियों के कितने स्कूलों में इस योजना को मिला दिया जायेगा।?

अध्यक्ष महोदय : ये दो पृथक प्रश्न हैं। केवल एक का उत्तर दिया जाय।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, सहायक कैडेट कोर का राष्ट्रीय अनुशासन योजना के साथ एकीकरण करने के लिए शिक्षा तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही हैं तथा शिक्षा मंत्री जी इस बारे में शीघ्र ही प्रतिरक्षा मंत्री जी से मिलने वाले हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : In view of the assurances given by the Defence Minister and the former Minister of Education on the floor of the House to the effect that early steps would be taken for the integration of the National Discipline Scheme with the Auxilary Cadet Corps, on what points these has occurred difference of opinion due to which the Government has not been able to arrive at any decision as yet in this regard ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, there is no question of any difference of opinion. In fact we did not find any opportunity to sit together during this period. The hon. Member must be aware that this matter could not be discussed fully due to the fact that certain changes took place in the Ministry during the period.

Shri Prakash Vir Shastri : Has the number of NDS Centres imparting training to the persons been reduced? If so, what is being done to increase their number and whether it is under consideration to open a NDS Centre in Uttar Pradesh also? ,

Shri Bhakt Darshan : Sir, There were only two NDS Cenres for the Instructors which are still working. The number of only those Centres has been reduced which were imparting training to Physical Instructors. The question of opening a NDS Training Centre in Uttar Pradesh is under consideration.

श्री अ० व० राघवन : क्या अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल राज्य में प्रगति कम हुई है और यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, मुझे खेद है कि केरल की राज्य सरकार ने हमारी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। वह प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री प० कुन्हन : माननीय उपमंत्री जी ने बताया कि दक्षिण में दो नये केन्द्र खोले जाने वाले हैं। वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, इस समय नाम बताना मेरे लिये वांछनीय नहीं होगा।

Shri Kachhawaiya : Have all the States been asked to implement the National Discipline Scheme and if so, the time by which it is likely to start?

Shri Bhakt Darshan : It has already been started in Seventeen States except two or three States like Kerala and Bihar where it has not been started fully. The correspondence is going on with them and we hope that they would also accept it very soon and it would start there also.

Shri Gulshan : Has the management of primary education been handed over to Panchayats anywhere and if so, the result thereof ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, this pertains to another question which will be taken up after this question.

Shri Yashpal Singh : May I know how much time is devoted to Rifle training and cultural programmes respectively?

Shri Bhakt Darshan : Sir, it is not possible for me to give any definite information about it but I hope that full attention is paid to every aspect of development.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लोक-प्रिय न होने का यह कारण है कि जिन अनेक शिक्षा संस्थाओं ने इसको लागू किया है उनके पास आवश्यक उपकरण नहीं हैं और यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रबन्ध किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, वेतन तथा उपलब्धियों का भुगतान केन्द्रीय सरकार कर रही है। अतः गैरसरकारी संस्थाओं को राज सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Sheo Narain : Is it a fact that under the NDS boys and girls receive education together and if so, the number thereof ?

Shri Bhakt Darshan: No, Sir, Lady instructors are employed in girls' schools and male instructors in boys' school. However, no separate arrangements exist for the training of instructors. They are trained together.

श्री विश्वनाथ राय : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिक्षा संस्थाओं में इस योजना को लागू करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है, और यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितनी संस्थायें आ जायेंगी ?

Shri Bhakt Darshan : There is no doubt that all the institutions have not been covered by this scheme but we are making efforts in this direction and hope that in a few years it would be implemented in each and every institution.

Shri U.M. Trivedi : The hon. Minister just said that attention is paid to every aspect of development. May I know whether dancing, singing, tabla-playing and cinema are also included in this scheme and whether all these things are done at Sirsa?

Shri Bhakt Darshan : Sir, as per as cinema is concerned I think it has no place in it and I have nowhere heard about it. Even the cultural programme is intended for the development of personality of the youth. However, it should remain within limits.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether under the scheme boys and girls receive different type of education or there is a uniform pattern of education for both ?

Shri Bhakt Darshan : Broadly speaking, under the NDS there is only one type of programme. But some specific things are taught to boys while others to girls.

Primary Education

+

*526. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri G. Mohanty :
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 38th All India Educational Conference has made a demand that the Panchayats should not be entrusted with the responsibility for Primary Education;

(*b*) the reaction of Government thereto ; and

(*c*) the other subjects discussed at this Conference ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Government has no knowledge because the proceedings of the Conference have not been received.

(b) & (c). Do not arise.

Shri Sidheshwar Prasad: Will the Government be pleased to state when the All India Educational Conference was convened and the reason of delay in the submission of its report?

Shri Bhakt Darshan : Sir, this Conference was held in Baroda from 25th to 29th December, 1963. This is a non-official organisation and has no concern with the Government. All that we can do is to remind them in this connection.

Shri Ram Sewak Yadav: Has this Conference given any such proposal that with a view to popularise primary education a student force should be raised and all people should be educated within ten years ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, we have not yet received the report. So, how I can give a reply to it.

Shri Sidheshwar Prasad : Has the attention of the Government been drawn to the fact that when the State Governments do not have the money to introduce primary education in accordance with the Constitution, what would be the result if primary education is entrusted to the panchayats?

Shri Bhakt Darshan : Sir, the recommendations or the report of this Conference would be considered when they are received. That is all I can say at present.

Shri Kashi Ram Gupta : Is it the Government's own view that primary education should not be entrusted to the panchayats?

Shri Bhakt Darshan : Sir, as far as I know about it, we have received no report from them.

श्रीमती रेणुका राय : क्या इस सम्मेलन में सरकार का कोई प्रतिनिधि बुलाया गया था। यदि हां, तो क्या वह कोई अनौपचारिक प्रतिवेदन साथ लाए हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, जहां तक मैं जानता हूं, मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने अपने सम्मेलन में सरकार से प्रार्थना की थी कि प्राथमिक शिक्षा पंचायतों के हाथ में दे दी जाये।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि कुछेक राज्य सरकारों ने मांग की है कि प्राथमिक शिक्षा का काम पंचायतों को न सौंपा जाये ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं बिना जानकारी के कुछ नहीं बता सकता; मुझे देखना पड़ेगा।

श्री कपूर सिंह : इस सम्मेलन की सिफारिशों के इलावा तथा किन्हीं ऐसे ठोस प्रस्तावों के अतिरिक्त जो इस सम्बन्ध में सरकार के सामने हों, क्या सरकार के पास यह विश्वास करने के कोई कारण हैं कि प्राथमिक शिक्षा चलाने के लिए पंचायतें अनुपयुक्त सिद्ध हुई हैं ?

श्री भक्त दर्शन : : मैं समझता हूं कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री कपूर सिंह : इस प्रश्न में से केवल यही एक प्रश्न उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि रिपोर्ट आ जाने पर वे निश्चय करेंगे।

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किन्हीं ठोस प्रस्तावों के अतिरिक्त ऐसा विश्वास करने के उनके पास कोई कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह जानकारी वे अभी दे दें तो रिपोर्ट का वे क्या करेंगे ?

Shri Bade : Is the policy of the Government to hand over primary education to the municipality where there is one and to entrust it to the panchayat where there is a panchayat?

Shri Bhakt Darshan : Sir, as I have said, as far as I know this has not been thought over at length. This will be considered when their recommendations or report are received and then only some decision would be taken.

श्री दे० जी० नायक : कुछ ऐसे राज्य हैं, विशेषत: गुजरात और महाराष्ट्र, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समितियों के हाथ में दे दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन राज्यों का अनुभव क्या है तथा क्या उन राज्यों ने अपना अनुभव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ?

श्री भक्त दर्शन : मुझे खेद है कि यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

Shri A.P. Sharma : It has just been stated by the hon. Minister that this Conference was held in Baroda in the month of December and now we are in the middle of March. Does he not feel that there has been considerable delay in receiving the proceedings of the Conference.

Shri Bhakt Darshan : Sir, I have stated that this is altogether a non-official organisation. We are related only to this extent that they asked for some financial help which we have given . All that we can do now is to send them a reminder and ask for their report.

घरेलू इंधन गैस

***५२७. श्री प्र० चं० बरुआ** : : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू इंधन गैस के उत्पादन तथा वितरण के लिये बनाई गई योजना की रूप रेखा क्या है तथा उसके अन्तर्गत कौन-कौन से खण्ड (जोन) बनाने का विचार है; और

(ख) विशषज्ञ समिति द्वारा इस सम्बन्ध में इस बीच क्या सिफारिशें की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) योजना के अन्तर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी इलाकों में ईंधन गैस के उत्पादन तथा संभरण का विचार है। प्राकृतिक गैस, नफ्था गैस, कोयले की गैस तथा पैट्रोलियम की गैस से यह गैस उत्पन्न करने पर विचार किया गया है। योजना के अधीन निम्नलिखित खंड बनाने का विचार है :

१. निचली गंगा घाटी

२. ऊपरी गंगा घाटी ;

३. पश्चिमी घाट,

४. दक्षिण भारत,

५. गोदावरी घाटी,

६. महानदी घाटी,

७. विदर्भ क्षेत्र,

८. राजस्थान क्षेत्र,

९. ब्रह्मपुत्र घाटी ।

(ख) समिति ने अभी योजना पर विचार नहीं किया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों तथा तेल शोधक कारखानों में इस तरह की कितनी गैस व्यर्थ में जलाई जा रही है और उसका मूल्य क्या है? आसाम तेल क्षेत्र में कितनी मात्रा जलाई जाती है ?

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना चाहिये यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं आंकड़े प्राप्त कर सकता हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नूनमती में तेलशोधक गैस के उपयोग की कोई योजना तैयार की गई है; यदि हां, तो क्या कोई प्रस्ताव मिला है ? यदि मिला है तो उस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है जो जानकारी मैं दे सकता हूं मैंने दे दी है . उसके अतिरिक्त मैं इतना ही कह सकता हूं कि केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था ने एक योजना तैयार की थी जिस पर पेट्रोलियम संस्था ने विचार किया है अब वह उसके प्रतिवेदन पर विचार कर रही है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि गुजरात में, जहां घरेलू प्रयोजनों के लिये इस गैस की बड़ी मांग है, बहुत अधिक दाम लिये जाते हैं और इसलिए उनके लिये इस गैस को इस्तेमाल करना संभव नहीं है और इसे जला दिया जाता है ?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं । सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आई है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने भाखड़ा नगंल और विभिन्न अन्य कारखानों में जलाई और व्यर्थ गवांई जाने वाली गैस के इस्तेमाल के मार्गोपाय ढूंढने की ओर ध्यान दिया है ?

श्री मु० क० चागला : प्राकृतिक गैस के सर्वोत्तम उपयोग तथा जनता में इसके वितरण का तरीका खोजने के प्रयोजन के लिए दो समितियां बनाई गई थीं । पेट्रोलियम संस्था ने प्रतिवेदन पर विचार किया है और अब यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या कारण है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में बनाई गई गैस निकटतम नगर पटना को नहीं दी जायेगी जबकि इसके भारत के अन्य सभी नगरों को दिये जाने की आशा है ?

श्री मु० क० चागला : उत्तर का सम्बन्ध प्रतिवेदन पर विचार होने से है । मैं सभा को आश्वासन दिलाँ दूं कि हम प्राकृतिक गैस के वितरण को सुधारने के सभी संभव उपायों पर विचार कर रहे हैं ।

श्री हेडा : घरेलू ईंधन गैस बनाने वाली कम्पनियां क्योंकि एक से ज्यादा हैं उन्हें आपस में स्पर्धा करने और जहां कहीं यह गैस उपलब्ध है वहां अधिक अच्छी सेवा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

श्री मु० क० चागला : मुझे सूचना चाहिये ।

डा० रानेन सेन : इस बात को देखते हुए कि अनेक गैर-सरकारी कम्पनियां घरेलू ईंधन का उत्पादन कर रही हैं और कतिपय राज्य सरकारें भी घरेलू ईंधन गैस बना रही हैं और उसका संभरण कर रही हैं, क्या सरकार का विचार इन सारी योजनाओं को मिला कर एक समरूप अखिल भारतीय योजना बनाने का है ?

श्री मु० क० चागला : अन्य विषयों के साथ यह भी विचाराधीन है ।

Shri Sheo Narain : I want to know the price of one cylinder of this gas.

श्री मु० क० चागला : मुझे डर है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

Shri Vishram Prasad : This gas is produced in a large quantity at Ankleshwar oilfield and Cambay. The people of Gujarat have the Complaint that they do not get this gas. Is this Ministry considering to give for home use the gas which is daily burnt?

Shri M.C. Chagla : I cannot add to it that this question is being considered.

ज्वालामखी में खुदाई

\+
*५२८. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुधांशु दास :
श्री बलजीत सिंह : }

क्या पेंट्रोलियम **और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल की खोज के लिए खुदाई का काम ठेके के आधार पर १९६४ में पुनः आरम्भ किया जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो उस की शर्तें क्या हैं ?

पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं । ज्वालामुखी में खुदाई का काम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं ही करेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि ज्वालामुखी में खुदाई कार्य कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया था और यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुमायून् कबिर : लगभग ३,६०० मीटर तक नीचे जा कर ज्वालामुखी में खुदाई का काम रोक दिया गया था । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास उस समय जो 'रिग्स'' थे वे इतनी गहराई से आगे नहीं जा सकते थे और नये 'रिग्स' मंगवाये गये थे, और हमारा विचार गहरे जाने का है।

श्री महेश्वर नायक : ज्वालामुखी में जितना व्यय होने की संभावना है उसकी तुलना में क्या वहां तेल मिलने की संभावना उतनी ही उज्ज्वल हैं।

श्री हुमायून् कबिर : तेल की खोज में कुछ न कुछ जोखिम तो सदा उठाना ही पड़ता है। मैंने जो कहा है कि उसे मैं जरा सा ठीक कर दुं। ज्वालामुखी में कई संरचनात्मक कुयें थे जो बहुत गहरे नहीं थे। कुआं संख्या १ में गैस का कुछ दबाव था और कुआं संख्या २ गैस रहित निकला। अब हमारा विचार बहुत गहराई में उतरने का है। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह माननीय सदस्य भी आशा रखेंगे कि इस बार हम सफल रहेंगे।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि ज्वालामुखी में पिछली खुदाई एक अमरीकी कम्पनी की सहायता से की गई थी और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले थे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अभी सारी जानकारी दी है।

डा० रानेन सेन : उन्होंने प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया है।

श्री हुमायून् कबिर : पहले गहरे कुए की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अप्रैल, १९५७ में खुदाई हुई थी। उसके लिये मुझे किसी अमरीकी सहायता का निर्देश नहीं मिला है।

शिक्षा तथा रोजगार के अवसर

*५३०. { + **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में शिक्षा की जांच के लिए नियुक्त समिति के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसका प्रतिवेदन कब तक पेश हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :(क) और (ख). समिति को समाप्त कर दिया गया है और उसका कार्य केन्द्रीय आयोजन दल को हस्तान्तरित कर दिया गया है जो इस मंत्रालय ने हाल ही में गठित किया है।

Shri Sidheshwar Pradsad: Has the attention of the Government been drawn to this fact that in spite of many schemes formulated regarding education there is no provision for giving employment to our students after their education; if so, the method adopted by the Government to tackle this problem ?

Shri Bhakt Darshan: Sir, this question has always been before the Ministry of Education. The bigger group that has been constituted would consider this aspect as well.

Shri Sidheshwar Prasad : I want to know whether the Committee which has recently been wound up made some final recommendations; if so, the nature of those recommendations.

Shri Bhakt Darshan : Sir, unfortunately that Committee could not hold any meeting.

Dr. Govind Das : As far as our system of education is concerned, the question has repeatedly come up and such basic changes in that system have been demanded several times. I want to know since when consideration has been going on in this respect and when some decision will be arrived at—or we should not expect any decision whatsoever.

Shri Bhakt Darshan : Sir, I agree that consideration over it has taken much too long but it is expected that the Group recently constituted under the Chairmanship of the hon. Education Minister would consider it shortly and arrive at a decision.

Shri Kachhavaiya : I want to know how many students complete their education every year and how many of them are given employment.

Shri Bhakt Darshan : Sir, I would require notice for that.

Shri Bade : Is it a fact that a complaint from Madhya Pradesh Government has been received to the effect that after getting education in technical schools the students do not get any job for two or three years?

Shri Bhakt Darshan : Sir, so far as the information of the Government goes, students from technical schools get employment very soon. But in case the hon. Member has any specific complaint, he may convey it.

श्री कपूर सिंह : क्या भारत की सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति को रोजगार के अवसरों से समन्वित करने का इरादा है या केवल उसके विशिष्ट स्तरों को ?

श्री भक्त दर्शन : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें ।

श्री मुत्तु गौंडर : क्या सरकार जानती है कि कोई कितना भी शिक्षित क्यों न हो, जब तक उसे हिन्दी नहीं आती, केन्द्रीय सरकार की सेवा में आने के उसके लिये कम अवसर हैं ? क्या यह सच है ? क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

श्री भक्त दर्शन : मैं नहीं जानता कि इसका इस प्रश्न से कैसे सम्बन्ध होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को समझा नहीं हूं । इसीलिये मैंने कुछ कहा नहीं ।

श्री मुत्तूगौंडर : जब तक किसी को हिन्दी न आये उसके लिये कोई अवसर नहीं है, कम से कम बराबर के अवसर नहीं हैं। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है ?

श्री भक्त दर्शन : अभी तक यह सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

Dr. P. S. Deshmukh : We have read in the newspapers that the new Education Minister has wound up about two to three hundred Committees. I want to know whether this Committee is also one of them because so far it has not held any meeting.

Shri Bhakt Darshan : Mr. Speaker, I want to make one correction in it. In all there were 120 Committees under the Education Ministry and 50 of them have been wound up. Other Committees are also under consideration and it is expected that............(*Interruptions*).

Mr. Speaker : When Committees are appointed, they are objected to and when they are wound up, even then there are objections.

Shri Ram Sewak Yadav : They should not wind up education.

Mr. Speaker : They are winding up the Committees, not education.

Shri Bhakat Darshan : Sir, I was submitting that there were 120 Committees under the Ministry of Education out of which 50 have been wound up and we are thinking about the rest. Very shortly their fate will also be decided. This Committee is also in that list.

कलकत्ता पुलिस दल

+
*५३१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कलकत्ता पुलिस दल को बढ़ाने तथा उसके आधुनिकीकरण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार को क्या सहायता देने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० सी० बरुआ—वह खड़े नहीं हो रहे—अगला प्रश्न।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : जब ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं तो पूछने के लिये क्या रह जाता है ? और फिर इस मंत्रालय की मांगें भी शीघ्र ही प्रस्तुत हो रही हैं ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां मुझे एक बात कहनी है जो मैंने पहले भी कही थी । जब एक सदस्य किसी प्रश्न की सूचना देता है तो अन्य देशों में सामान्य प्रक्रिया यह है कि केवल उसी को दबाव डालने या अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है । परन्तु यहां वे सदस्य अधिक दबाव डालते हैं जो प्रश्नों की सूचना नहीं देते । हम ने यह प्रक्रिया अपनाई है । मैं इसे बन्द नहीं कर रहा हूं । हम उसकी अनुमति देते हैं और मेरा विचार इसे जारी रखने का है । परन्तु जब एक सदस्य एक प्रश्न करता है और वह उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना नहीं चाहता—मेरा ध्यान केवल उसी ओर होता है और उस समय मैं दूसरों की ओर नहीं देखता—तो मैं अगला प्रश्न ले लेता हूं । हो सकता है कि मैंने दूसरी ओर न देखा हो । जब मैंने देखा कि वह उठने और अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैंने अगला प्रश्न ले लिया ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

डा० रानेन सेन : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं । मांगें भी आ रही हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : केवल निवेदन, प्रश्न नहीं ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि हाऊस आफ कामन्स में जिन सदस्यों के नाम सूची में नहीं होते उन्हें अनुमति नहीं होती . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय . ऐसा कभी-कभार होता है । पीछे एक दिन मैं ने बताया था कि वहां अनुपूरकों की औसत संख्या १.२ से १.५ है ।

श्री नाथ पाई : इसका तो यह अर्थ है कि लोक-सभा हाऊस आफ कामन्स से कहीं ज्यादा सतर्क है ।

श्री हेम बरुआ : आप ने उन्हें अवसर नहीं दिया जिनकी इस विषय में रुचि है । मैं बड़ा विनम्र निवेदन करता हूं कि इससे पता चलता है कि लोक-सभा के सदस्य कितने सचेत हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई पहले ही यह कह चुके हैं ।

श्री हेम बरुआ : इस प्रश्न में हुआ यह कि किसी तरह आप ने इधर देखा नहीं—यद्यपि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । चीज सारी यह थी ।

अध्यक्ष महोदय : इसे मैं मानता हूं । मैं ने माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर दिया है कि मैं ने उस तरफ देखा नहीं । मेरा सारा ध्यान मूल प्रश्नकर्ता की ओर था और जब वह नहीं उठे तो मैंने अगला प्रश्न ले लिया । (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे मुझे क्षमा करें।

श्री हरि विष्णु कामत : इस विषय पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा कर ली जाये।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री प्र० चं० बरुआ : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : सारी चर्चा ही इसी बात पर हुई है। अब वह कहते हैं कि उनके प्रश्न का क्या बना। **(अन्तर्बाधायें)** अगला प्रश्न।

हिमालय की जड़ी बूटियां

\+

*५३४. { **श्री विश्वनाथ पाण्डय :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हिमालय की जड़ी बूटियों से, जो उत्तर प्रदेश के बद्रीनाथ तथा अन्य भागों में बहुतायत से पैदा होती हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औषधि बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा किस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को काम में लाने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई विशिष्ट सुझाव नहीं है। उन्हें तथा अन्य राज्यों में पैदा होने वाले पौधों के उत्पादों के इस्तेमाल का प्रश्न पादप रासायनिक संयंत्र परियोजना पर होने वाले अन्तिम विनिश्चय पर निर्भर है।

Shri Vishwanath Pandey : Has the U.P. Government sent a representation that useful herbs are found in the Himalayas and they should be used and therefore a factory should be opened?

श्री अलगेशन : फार्मैस्युटिकल्स एण्ड ड्रग्स कम्पनी के अध्यक्ष विभिन्न राज्यों में गये थे और वहां की सरकारों से उनके क्षेत्रों में औषधीय पौधों तथा जड़ी बूटियों की खेती के विकास के बारे में बातचीत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सामने क्या निश्चित प्रस्ताव रखे थे इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। परन्तु उन्होंने उन से बातचीत की थी और समय आने पर उस पर विचार किया जायेगा।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस क्षेत्र में पाई गई जिन औषधीय जड़ी-बूटियों का प्रश्न में उल्लेख है क्या किसी अन्य देश में औषधि बनाने के लिये उनका निर्यात किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : मुझे इसका पता नहीं है। मुझे सूचना चाहिये।

श्री दे० जी० नायक : स्पीती तथा लाहौल में कुठ नामक एक औषधीय बूटी है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसका निर्यात किया जा रहा है या नहीं ?

श्री अलगेशन : इसके बारे में मैं कुछ हीं कह सकता ।

Dr. Govind Das : As far the Himalayas, this range is not in one State only but in a number of States. Will the Centre consider this matter when such is the position and not leave it to the States?

श्री अलगेशन : मैं ने यही कहा है। इस कम्पनी के अध्यक्ष ने इस खेती का विकास करने के बारे में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों तथा प्राधिकारों से बातचीत की थी ।

श्री महेश्वर नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन औषधीय जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किये हैं जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से लाभदायक पाई गई हैं तथा क्या उनका किसी तरह उपयोग किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : जी हां; विचार यही है कि इस बूटी की औषधियां आदि बनाने के लिये उपयोग किया जाये। परन्तु जब पादप-रसायन संयंत्र के बारे में निर्णय हो जायेगा, तब हम जान पायेंगे कि वहां कौन से उत्पाद बनाये जायेंगे तथा किन जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों की आवश्यकता होगी। तब राज्य सरकारों के परामर्श से इन फार्मों को स्थापित करने का समय आयेगा ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : इस बात को देखते हुए कि वनों से भेषजों का संभरण नियमित नहीं रहा है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार केन्द्र की प्रत्यक्ष देखरेख में राज्यों में फार्मों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): माननीय सदस्य शायद जानते हैं कि सेंट्रल मेडिसिनल प्लांट्स आर्गेनाइजेशन (केन्द्रीय भारतीय औषधीय पौधा संगठन) नाम का एक संगठन, जिसे संक्षेप में 'सिम्पो' कहा जाता है स्थापित किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में औषधीय जड़ी बूटियों के उत्पादन का फार्म स्थापित करने के प्रश्न की जांच करना सेम्पो का एक मुख्य उद्देश्य है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is there any intention to seek the co-operation in the manufacture of medicines of the exponents of Ayurveda and those who have knowledge of herbs by tradition?

श्री हुमायून कबिर : यह तो बिल्कुल ही अलग प्रश्न है। प्रश्न यह था कि क्या हिमालय की इन जड़ी बूटियों के बारे में कुछ किया जा रहा है। आयुर्वेद के चिकित्सकों के बारे में यह प्रश्न तो बड़ा व्यापक है।

Shri Yashpal Singh : Will this work of medicinal herbs be entrusted to the factory being established at Rishikesh or will it remain separate?

श्री हुमायून कबिर : अप्रत्यक्ष ढंग से हम पहले ही उत्तर दे चुके हैं कि सैम्पो ही एक ऐसा संगठन है जिसका इन जड़ी बूटियों को एकत्रित करने और उनके परिष्करण से मुख्य सम्बन्ध होगा और उसके बाद जहां कहीं आवश्यकता होगी उनका प्रयोग किया जायेगा। यह किसी अनुसन्धान प्रयोगशाला में हो सकता है या किसी वास्तविक औषधीय फर्म में।

Shri Kapur Singh : Has any Himalayan herb come to the notice of the Government by the use of which man can disappear?

Mr. Speaker : I would welcome that because then there will be so many supplementaries.

श्री कपूर सिंह : पुरानी पुस्तकों में इसका उल्लेख है ।

श्री हुमायून कबिर : प्रश्नकर्ता अपनी ही बात से टल गये हैं ।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हिमालय में पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों का कोई निर्धारण किया गया है और यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया है ?

श्री हुमायून कबिर : यह बहुत ही व्यापक और सामान्य प्रश्न है । कई जड़ी बूटियां परिष्कृत की गई हैं और उन में से कुछेक का उत्पादन भी किया जा रहा है । उदाहरणार्थ, रौवुल्फिया सरपेन-टीना (rauwolfia serpentina) सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई है । इस समय एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में अध्ययन हो रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि कैंसर में अच्छा लाभ होता है । परन्तु इस तरह के सामान्य प्रश्न का प्रश्नकाल में उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री हेमराज : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री हुमायून कबिर : जैसा कि मैंने पहले कहा है, सैम्पो को ठीक इसी प्रयोजन के लिये स्थापित किया गया है । यह प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से किया जाना चाहिये ।

कलकत्ता में जासूसों का गिरोह

+

*५३५. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल के अन्य भागों में पाकिस्तानी अथवा संयुक्त चीन-पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह के होने तथा जासूसी करने के बारे में कोई समाचार मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय सरकार को हाल ही में ऐसे कोई समाचार नहीं मिले हैं ।

(ख) सरकार ने जासूसों की कार्यवाहियों के विषय में जो उपाय किये हैं उन्हें प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल विधान परिषद की २४ फरवरी की, १५ दिन पहले कार्यवाही की ओर गया है जिसमें आरोप लगाये गये और स्पष्ट वक्तव्य दिये गये कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन पत्तन न्यास, रेलवे, विद्युत संभरण और परिवहन व्यवस्था में काम कर रहे हैं जो खुले आम या गुप्त रूप से पाकिस्तानी या चीन-पाकिस्तानी एजेंटों से मिले हुए हैं और जिन्हें भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग द्वारा सहायता दी जाती है तथा उकसाया जाता है, यदि हां, तो क्या इन समाचारों का कोई आधार है और स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये उचित होगा कि क्या ये लोग हिस्सा लेते रहे हैं, क्या हम उनकी कार्यवाहियों पर दृष्टि रखते हैं, जिन पर हम नजर रखते हैं परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि संदिग्ध व्यक्तियों की कार्यवाहियों पर सरकार कड़ी निगाह रखे हुए है और उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस राष्ट्रीय आपात में, जब कि पाकिस्तानियों द्वारा जासूसी और तोड़फोड़ के कम से कम कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं; क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार का विचार देश द्रोह, जासूसी और तोड़ फोड़ के लिये प्राणदंड लागू करने का है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न प्राणदंड के बारे में होगा । मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता . . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्राणदंड हर जगह निषिद्ध नहीं है ।

श्री हाथी : परन्तु यहां एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिये कानून में संशोधन करना पड़ेगा ।

श्री त्यागी : यह अहिंसावादी सरकार है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मैं आप से अपील करता हूं कि आप मेरा और सदन का बचाव करें । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रश्न है जिसका राष्ट्रीय हित से सम्बन्ध है और इस बारे में यदि ज्यादा नहीं तो हमारी तरह आप भी चिन्तत हैं । इस समय जब कि हम दोनों ओर चीन और पाकिस्तान से घिरे हुए हैं यह उचित है कि सरकार इसे गंभीरतापूर्वक ले और देशद्रोह के लिये प्राणदंड को निर्धारित करे ।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य सरकार के ध्यान में वह सुझाव लाना चाहते थे जो कि उन्होंने दिया है । उन्होंने स्थिति की गंभीरता का उल्लेख किया है । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने तथा सारी सभा में, मैंने और देश ने उसे सुन लिया है । हरेक ने इसे सुन लिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को इस विषय का महत्व बतायें ।

श्री नन्दा उठे —

Shri Yashpal Singh : Has the Government of India. . . . .

Mr. Speaker : Let the Government of India speak. I would ask you to sit down, the Government of India has stood up.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर सभा में किसी पक्ष के दृष्टिकोण में मतभेद हो सकता हो । मामले की गंभारता को निश्चय ही पूरी तरह से महसूस किया जाता है । यदि यह बड़े पैमाने पर न भी हो जैसी कि आशंका है, इसका थोड़ा सा होना भी बुरा है और

इसलिये इसका सामना करने के लिये प्रत्येक संभव कदम उठाया जाना है। हम उसमें लगे हुए हैं। इस लिये कोई भी सुझाव वास्तव में स्वागत योग्य है।

श्री हरि विष्णु कामत : ठीक है, माननीय मंत्री इस पर विचार कर लें।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that Russia is sympathetic towards us and hundreds of passports are made here for Russia and people who go to Russia reach China very easily and on their return from China they do spying here? If so, is Government considering to prescribe this condition that people who are issued passports for Russia cannot go to China from there?

Mr. Speaker : You have mentioned China. Russia and all other places but no Calcutta. The question is about Calcutta.

Shri A. P. Sharma : This is an important question and reply must be given.

Shri Yashpal Singh : I have said only this..........

Mr. Speaker : You have rather given the suggestion that it should be kept in view.

Shri Yashpal Singh : Is the Government in a position to say whether there is this restriction for people going to Russia that from there they cannot proceed to China so that on their return they cannot do spying in Calcutta?

Mr. Speaker : The hon. Member wants that some reply may be given to that.

श्री हाथी : जब ये लोग बाहर जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके जाने का उद्देश्य, पिछला इतिहास आदि सब ध्यान में रख जाते हैं और यदि इन में से किसी पर सन्देह हो तो उसे रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य केवल यह चाहते हैं कि उन्हें .....

श्री हाथी : हम उस पर भी विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार को हाल ही में जासूसों के गिरो के काम करने के बारे में कोई समाचार नहीं मिले हैं। क्या माननीय मंत्री स्पष्टतः इस बात से इंकार कर सकते हैं कि हाल ही के दंगों में जासूसों का गिरोह बहुत सक्रिय था और कलकत्ता तथा आसपास इलाकों में जासूसी कर रहा था?

श्री हाथी : यह बात नहीं कि जासूसी थी ही नहीं; जासूसी तो की जा रही है। परन्तु हाल ही में पाकिस्तानी-चीनी जासूसी कार्यवाहियों के बारे में कोई सूचना नहीं है परन्तु कार्यवाहियां हो रही हैं और सरकार को इस बारे में पूरा ज्ञान है और हम उपाय कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : एक स्पष्टीकरण चाहिये। उन्होंने कहा है ..... (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : कितने सदस्य बोल रहे हैं?

2677(Ai)LSD—3

श्री हरि विष्णु कामत : पहले तो मंत्री महोदय ने कहा था कि 'हाल ही के कोई समाचार' नहीं हैं। अब वह कहते हैं कि "जासूसी कार्यवाहियां चल रही हैं'। इसका अर्थ है कि उनके पास समाचार आये हैं। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी भाषा में इसका यही अर्थ होता है।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री हाथी : प्रश्न यह था कि क्या पाकिस्तान या चीन तथा पाकिस्तान की संयुक्त जासूसी कार्यवाहियों के बारे में कोई समाचार मिला है : मैंने कहा कि हाल ही में हमें ऐसे कोई समाचार नहीं मिले हैं कि पाकिस्तान और चीन की संयुक्त जासूसी कार्यवाहियां बढ़ गई हैं। जैसा कि मैंने बताया, संदिग्ध लोगों की कार्यवाहियों पर निगाह रखने के लिये हम सभी उपाय कर रहे हैं। मैं इस चीज के होने से इन्कार नहीं करता ।

Shri Prakash Vir Shastri : Has the Government of India received any letter from Calcutta which state that there are some such political parties in Calcutta whose representatives do spying in liaison with China? If so, whether Government has taken note of it and arrived at some decision after collecting this information?

Shri Hathi : There is no such information.

श्री प्र० चं० बरुआ : ऐसे समय में जब कि अल्प संख्यकों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है, जब कि वे भाग कर भारत में आ रहे हैं और जब कि तनाव ......

अध्यक्ष महोदय : इन वक्ताओं के साथ वह अपने प्रश्न से पहले भूमिका बनाते हैं। यह शिकायत मुझे और भी कई माननीय सदस्यों से है। श्री बरुआ भी इस सूची में शामिल हो रहे हैं। वह सीधा प्रश्न पूछें ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं आपकी बात मानता हूं ।

जब तनाव बहुत अधिक है, क्या सरकार जानती है कि ५००० पाकिस्तानी राष्ट्रजन, जो बहु-संख्यकों में से हैं, नियमित बीजा ले कर भारत में आ गए हैं और क्या सरकार नहीं समझती कि इससे देश की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा होता है ?

श्री हाथी : मैं समझ नहीं सका। वे भारत आए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि क्या सरकार समझती है ? उसके बाद की सा- न्ल राय का मामला है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या सरकार का ध्यान अलीपुर में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई कार्यवाही की तरफ गया है जो कल कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी जिसमें एक पाकिस्तानी जासूस ने स्वीकार किया है कि उसे कराची से रावलपिंडी, रावलपिंडी से चिटागांग और चिटागांग से पश्चिम बंगाल तथा अब कलकत्ता में भेजा गया है और उसने अपने काम का ब्योरा दिया है ?

श्री हाथी : मैंने आज यह समाचार नहीं देखा है।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन सारे के सारे कलकत्ता पत्तन को ठप्प कर सकते हैं क्योंकि पत्तन कर्मचारियों में से अधिकतर पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो जानकारी दी गई है ।

श्री त्यागी : क्या सरकार को बंगाल, आसाम और काश्मीर में जासूसी करने वाले अवैध रूप से आये हजारों पाकिस्तानियों का पता नहीं है क्या उन्हें इस बारे में कोई समाचार मिले हैं? क्या सरकार उन पर निगाह रखे हुए है ?

श्री नन्दा : जी हां, सरकार को इस खतरे का पूरी तरह से पता है और इस दृष्टिकोण से वह स्थिति का पूरा ध्यान रख रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कलकत्ता में जासूसों का एक भारी गिरोह है और इसलिये पुलिस दल की संख्या बढ़ाई जाय ? क्या मैं जान सकता हूं कि जब मंत्री महोदय उस स्थान पर गये थे तो उनका अपना क्या विचार है ? दंगों को दबाने के लिये जब उन्होंने हजारों व्यक्तियों को पकड़ लिया तो इस सम्बन्ध में उन्होंने कितने व्यक्ति पकड़े?

श्री नन्दा : पीछे ऐसे मामले हुए हैं। उन्हें अदालतों में ले जाया गया । कुछ मामलों में दोष सिद्ध भी हुए हैं । इसलिये जासूसी तो होती है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मुख्य मंत्री का वक्तव्य ठीक है ? उन्होंने कहा था कि जासूसों का एक भारी गिरोह है और पुलिस दल को बढ़ाया जाना चाहिये ।

श्री नन्दा : हाल ही में ऐसा कुछ नहीं कहा गया ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : इस बारे में कलकत्ता में पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त की अवांछनीय कार्यवाहियों के बारे में समाचार आये हैं । क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के बारे में कोई सुझाव दिये गये हैं ?

श्री नन्दा : हमारे सामने कोई सुझाव नहीं है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Treatment To An MP In Ambala Jail

\+

Short Notice Question No. 7
Shri Bade :
Shri Rameshwarananda :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Kukam Chand Kachhavaiya, M.P., was in Ambala Jail recently ;

(b) whether members of Parliament are given class 'A' in Jail;

(c) if so, the reasons for not giving this facility to Shri Hukam Chand Kachhavaiya;

(d) whether it is also a fact that he was beaten and forcibly fed on eggs; and

(e) if so, the steps taken by Government in this regard?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : पंजाब जेल नियमावली के अनुसार जांचाधीन बन्दी केवल दो श्रेणियों के होंगे, अर्थात् (१) वे, जो सामाजिक स्तर, शिक्षा या जीवन यापन के ढंग से उच्चतर प्रकार के जीवन के अभ्यस्त हों तथा, (२) अन्य, अर्थात, एक श्रेणी "ए" व "बी" श्रेणियों के समक्ष होगी तथा दूसरी श्रेणी "सी" श्रेणी के समक्ष होगी । श्री कछवाय के साथ दोनों श्रेणियों में से उत्तम श्रेणी का व्यवहार किया गया था और उन्हे उत्तम श्रेणी दी गई थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Bade : Is it a fact that Shri Hukam Chand Kachhavaiya, M.P., was kept near the lunatics before 21st?

श्री हाथी : जी नहीं, पंजाब सरकार से पूछने पर हमें जो जानकारी मिली है वह ऐसी नहीं है ।

Shri Bade : Is it a fact that he was forcibly fed and what were the contents of this forced feeding and whether Shri Kachhavaiya objected to it?

श्री हाथी : हमें मिली जानकारी यह है कि उन्होंने अनशन कर रखा था और उन्हें खाना खिलाया गया और उस दिन उन्हें जो विशेष भोजन दिया गया वह वही था जो वह शुरू से लेते आ रहे थे ।

Mr. Speaker : He says that it included eggs which he does not take. मैंने यह मामला गृह-कार्य मंत्रालय को भेजा है ।

श्री हाथी : उनके लिये विशेष भोजन निर्धारित किया गया था और वही उन्हें दिया जाता था । उसमें दूध, अंडे, ...

Shri Bade : Eggs were there?

श्री हाथी : जी हां, अंडे थे । मैं वही जानकारी दे रहा हूं जो मुझे पंजाब सरकार से मिली है, उसमें कहा गया है कि पहले दिन से उन्हें अंडे, मक्खन, फलों का रस और बिटामिन की गोलियां दिये जाते थे और वह इस सारी चीज को पूरी तरह से जानते हुए खा रहे थे ।

श्री बड़े : एक प्रश्न और ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि जेल में चार अपराधियों को श्री कछवाय पर छोड़ दिया गया जिन्होंने उन्हें बुरी तरह से पीटा जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस चारपाई पर श्री कछ-

वाय लेटे हुए थे वह टूट गई; यदि हां, तो क्या सरकार ने—हमें जानने का अधिकार है —माननीय सदस्य के विरुद्ध इस आयोजित गुंडागर्दी की जांच करवाई है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैंने यह सब आगे भेज दिया है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा विनम्र निवेदन है कि यह आपका भी नैतिक कर्तव्य है । सदन के माननीय अध्यक्ष होने के नाते आपको हमारे शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उद्धार का ध्यान रखना है । इस लिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आपने सरकार के साथ यह मामला उठाया है :

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के मानसिक उत्थान का ध्यान तो शायद मैं न रख सकूं परन्तु जहां तक दूसरी चीजों का सम्बन्ध है, मैंने वास्तव में ध्यान रखा है । मैं पहले ही इसे आगे भेज चुका हूं और मुझे आशा है कि मुझे उत्तर मिल जायगा ।

श्री बड़े : मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने पूरा सहयोग दिया है । श्रीमन आप ने अपनी पहुंच के अन्दर हर चीज की है और उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री हाथी : आप ने जो पत्र भेजा था वह मुझे मिल गया है और हम जांच कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन, मुझे खेद है ; मैं नहीं जानता था कि आप इतनी रुचि ले रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर पा सकता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि माननीय सदस्य को अम्बाला जेल के उस भाग में रखा गया था जो पूर्णतः पागलों के लिए रक्षित है और पागल ही वहां रहते हैं । ?

श्री हाथी : जी नहीं, उन का कहना है कि उन्हें हस्पताल के समीप एक कोठरी में रखा गया था और बाद में जब उन्होंने किसी और जगह की मांग की तो उन्हें वहां बदल दिया गया था ; पागलों या ऐसे मानसिक रोगियों के लिए रक्षित भाग में नहीं ?

श्री कपूर सिंह : क्या आप और जांच करेंगे ?

श्री हाथी : जी हां ।

Shri Prakash Vir Shastri : Has Shri Hukam Chand Kachhavaiya written any letter to the Home Minister after his release from Ambala jail; if so, has any enquiry been made by the hom. Home Minister into the Complaints contained therein and any such decision taken thereafter that in future no State Government can give this treatment to the M.Ps. ?

Shri Hathi : One letter has been sent by him and another by the hon. Speaker. We have forwarded them to the Punjab Government for its report.

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has first stated that the report received from the Punjab Government says that the hon. Member, Shri Kachhavaiya, was given eggs and other things from the first day and he knew it.

Shri Kachhaviya says that he does not take eggs ? Similarly, there are instances of beating also which are endorsed by one party and denied by the other. Is the hon. Home Minister considering to have a judicial probe into the matter so that the reality may be known ?

Shri Hathi :..The question received earlier and the letter of another hon. Member are...........

Mr. Speaker : Since it pertains to a Member of Parliament, the question of judicial probe or investigation does not arise but I must say that the hon. Minister should make a special enquiry because we must know how the Members of Parliament are treated.

डा० मा० श्री० अणे : क्या मैं जान सकता हूं कि उनके आपत्ति करने पर भी जेल अधिकारी उन्हें अंडे खिलाने पर जोर देते रहे ?

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना है कि उन्हें पहले अंडे दिए गए थे और वह उन्हें खाते रहे।

श्री बड़े : वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उसमें अंडे हैं ; जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इस पर आपत्ति की ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that according to the Jail Manual A class prisoners stay within the precincts and are not detained in any solitary cell ? Why was Shri Kachhavaiya kept in a manner thieves and dacoits are kept ?

Shri Hathi : According to the Jail Manual of the Punjab Government there are no three classes as A, B and C; they are only two categories, one is ordinary and the other superior. Shri Kachhaviya was given the superior category treatment.

Shri U.M. Trivedi : Will any action be taken against those brutes who gave eggs to him ?

Mr. Speaker : How will that please anybody ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जब एक व्यक्ति अंडे नहीं खाता तो उसे खाने पर क्यों विवश किया गया था ? उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई गई ? जब हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है तो क्या वह हमें सहन करना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कुछ भी कहने की छूट नहीं दी थी। मैंने तो केवल यह बताया है कि पंजाब सरकार ने जो स्थिति बताई है वह यह है कि उन्हें क्योंकि उस जगह रखा गया वह वही भोजन खाते रहे जो उन्हें दिया जाता था और जो उन्हें जबरदस्ती खिलाया गया था। स्थिति तो यह है। अब अगर यह गलत है तो वह अलग बात है।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, all have equal rights in a democracy but all have the freedom of food habits. The hon. Members Shri Kachhavaiya, was forcibly fed on eggs. As he is a vegetarian, his religious sentiments have been hurt by giving him eggs forcibly. Is Government trying to punish those who have done like this ?

Mr. Speaker : He is enquiring into that.

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Member, Shri Kachhavaiya, was asked to be beaten by four life prisoners when he was wounded, two compounders and one doctor were kept by his side throughout the night. Has the hon. Minister received the doctor's report. if so, the contents thereof and whether he will place it on the Table of the House ?

Mr. Speaker : This should be looked into because I have also received the allegation that the doctor come to attend. The hon. Minister may also enquire whether the doctor has submitted any report.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the doctor's report?

Mr. Speaker : He may not have it with him.

Shri Onkar Lal Berwa : Yes, the report has come to him.

श्री हाथी : मेरे पास कुछ जानकारी है ; पर डाक्टर ने कहा है कि कोई शारीरिक चोट नहीं आई थी ।

श्री बड़े : पेट तथा पीठ में दर्द । He is having pain.

Mr. Speaker : What can the doctor say about pain?

शान्ति, शान्ति । श्री बड़े वकील हैं और वह अदालतों में वकालत करते रहे हैं। **(अन्तर्बाधा)**

शान्ति, शान्ति । एक साथ पांच सदस्य नहीं । मैं उन में से किसी को अनुमति नहीं दूंगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : What does personal injury mean?

Mr. Speaker : Order, Order. Those Members who ask questions without my permission. I will not allow their questions to be replied.

Shri Ram Sewak Yadav ; What does the hon. Minister understand by personal injury?

Mr. Speaker : It may not be answered. Shri Kashi Ram Gupta.

Shri Kashi Ram Gupta : The Punjab Government has been accused of giving a wrong statement regarding Shri Kachhavaiya. Will the Government of India, therefore, conduct the enquiry through one of its reliable officers or will it proceed on the basis of the report of the Punjab Government only?

An hon. Member : They will have the enquiry made by Mr. Kairon.

श्री हाथी : पहले हम पंजाब सरकार से जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर देखेंगे ?

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, kindly direct the hon. Home Minister to place before this House his letter and the reply given to it by the Punjab Government, so that we may be able to know what he wrote and what the Punjab Government has written in reply.

Mr. Speaker : That can be pursued later on.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, is this justice that the Punjab Government who is guilty should conduct the enquiry? In that case, reports may be had even from the dacoits.

Mr. Speaker : The hon. Member may resume his seat. Dr. Lohia.

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon . Member, Shri Kachhavaiya, says that he has been beaten in the jail. The Punjab Government has denied it. This issue has been hanging fire for more than a week. A person like me at least shall have greater faith in what the hon. Member says than what is claimed by the Punjab Government. I feel that even the hon. Minister might have found a similar impression. I want to ask him whether these eight or ten days were not sufficient for the whole enquiry and whether he would bring this issue before the House in a day or two .

Mr. Speaker : It is possible that the Government can bring it up here in a day or two ?

Shri Hathi : It cannot be done that early. We would be in a position to say something after the reply of the Punjab Government is received.

परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक इस सदन के माननीय सदस्य का सम्बन्ध है, हम इस सदन के सभी सदस्यों का बड़ा आदर करते हैं। इसलिये जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम वह सारी जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपने मांगी है—और देखेंगे कि पत्र में क्या है। हमे तो किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : पटल पर पत्र रखे जायें। आगे और कोई प्रश्न नहीं होंगे।

Shri Bagri : Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : The hon. Member may take his seat now. I cannot allow any more questions.

Shri Bagri : Mr. Speaker, this question pertains to the persons from Punjab and they should therefore be given the opportunity.

Mr. Speaker : Order, order, I have allowed fifteen minutes for this question because it was regarding one of our own Members. Now, I cannot allow more questions.

Shri Bagri : Mr. Speaker, I want to ask when the Chief Minister there is himself guilty, what enquiry he will make.

Shri Daljit Singh : Mr. Speaker, why are we not given the opportunity when we want to ask questions in this regard. Let me also have a chance.

Mr. Speaker : The hon. Member may resume his seat.

Shri Daljit Singh : When he is having so many complaints, how is Shri Kachhavaiya reported to have gained weight in the jail ? (*Interruptions*)

Mr. Speaker : The hon. Member may sit down now.

Shri Bade : Mr. Speaker it is on record that the hon Member has gained no weight. Shri Kachhavaiya is here. You may have his weight (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order, order. the hon. Member may take his seat now.

Shri Onkar Lal Berwa : He has lost 14 lbs. (*Interruptions*)

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, he is saying before you that the weight has increased. Such lies are being told in the House but you cannot do anything in this respect. You are calling us to 'order' but you are not saying anything to him who has said this thing.

Shri Bade : Mr. Speaker......(*Interruptions*).

Mr. Speaker : Will the leader of the party keep Shri Bade under control or not ?

Shri Daljit Singh : We want that the doctor's report should be placed before the House.

Shri Bade : Mr. Speaker, please listen. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह का विवाद नहीं चलने दूंगा। जब मैं कह रहा हूं तो उन्हें अवश्य बैठ जाना चाहिये। मैं ने चार-पांच बार श्री बड़े को बैठने को कहा है लेकिन वह सुनते ही नहीं हैं।

श्री बड़े : वह कुछ कह रहे थे . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें भी बैठने को कहा है और मैंने उस प्रश्न के उत्तर की अनुमति नहीं दी है। (अन्तर्बाधायें) यदि वह मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। पत्र पटल पर रखे जायें।

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of order.

Shri Bagri : On a point of order.

Shri Onkar Lal Berwa : Whatever the hon. Member has said is a white lie.

Mr. Speaker : There is no point of order at the moment.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, it is in this very connection.

Mr. Speaker : I cannot allow the point of order if it arises from what I have said. The hon. Member may resume his seat. There is no point of order at this time.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, please listen what is the point of order.

Mr. Speaker : How can I listen? How can there be a point of order when one thing has finished and the other has not yet been taken up? There can therefore be no point of order.

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, I have to make one submission in this very connection. What will be the harm if you listen for a second?

Mr. Speaker: I am not prepared to listen anything more. He may kindly sit down.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, this is a very important question.

Mr. Speaker : Howsoever important it may be—when I have finished it, I will listen nothing more.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, a very serious thing has been said and it will remain on the record.

Mr. Speaker : I would request the hon. Member to sit down. I have finished this question and I will not listen anything in this regard now. I have called Shri Krishnamachari.

Papers to be laid on the Table.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I do not want to say anything in this respect, but I request you....

Mr. Speaker : I have stated that this question is no more before us and I have called Shri Krishnamachari to lay the papers.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, not in this connection ....

Mr. Speaker : I have called Shri Krishnamachari. I will allow him after the papers have been laid.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुज्जर कल्याण बोर्ड

*५२६. **श्री गो० महन्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्थापित किए गए गुज्जर कल्याण बोर्ड के कृत्य क्या हैं तथा उसके सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ख) जिस समुदाय के लिये यह बोर्ड बनाया गया है क्या उस के प्रतिनिधि इस बोर्ड में हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) गुज्जर कल्याण बोर्ड के कृत्य ये हैं : (१) गुज्जरों की समस्या का परीक्षण करना, (२) उनकी समृद्धि के लिए योजनाएं सुझाना और विशेष रूप से (३) यह सुनिश्चित करना कि गुज्जरों की समस्या हल करने में, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, उत्तर देश और हिमाचल प्रदेश में एक समान और समेकित नीति अपनाई जाय।

बोर्ड के सदस्य निम्न प्रकार हैं :

१. गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री —अध्यक्ष

२. प्रधान मंत्री, जम्मू तथा काश्मीर

३. पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री

४. हिमाचल प्रदेश के उप-राज्यपाल

५. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

६. श्री मुहम्मद शफ़ी

७. श्री मामदीन गुज्जर

८. श्री धर्म देव शास्त्री ।

(ख) जी, हां। श्री शफ़ी और श्री मामदीन गुज्जर गुज्जर जाति के हैं।

लारेंस स्कूल

*५३२. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लारेंस स्कूल के प्रबन्ध बोर्ड में कौन कौन व्यक्ति हैं ; और

(ख) क्या कुछ हितों का प्रतिनिधित्व न होने के बारे में जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो क्या ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दोनों लारेंस स्कूलों में से प्रत्येक के प्रबंध बोर्ड में केन्द्रीय सरकार के तीन प्रतिनिधि और भारत सरकार द्वारा मनोनीत चार सदस्य हैं।

(ख) जी, हां। दो व्यक्तियों से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए। एक में लारेंस स्कूल, सनावर के गवर्नर बोर्ड में अभिभावकों में से चार सदस्य मनोनीत किये जाने का सुझाव है और दूसरा लारेंस स्कूल, लोवाडेल के प्रशासन बोर्ड में स्थानीय बडाग समुदाय के एक सदस्य के मनोनीत किये जाने के बारे में है।

जम्मू तथा काश्मीर में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

***५३३. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कुछ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने के लिए केन्द्र से कुछ अधिकारियों की सेवायें मांगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं या किये जाने वाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार और पंजाब सरकार ने क्रमशः आयुक्त और मुख्य सचिव के पदों के लिये दो अधिकारियों की सेवायें उनको उपलब्ध की जा चुकी हैं। जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने हमें बताया है कि वे यथा समय अन्य अपेक्षित अफसरों के बारे में बतायेंगे।

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास

***५३६. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुस्तक कब तक छप जायेगी ; और

(ग) उस पर कितना धन खर्च होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) पहला खंड जनवरी, १९६१ में प्रकाशित किया गया था। दूसरे खंड की हस्तलिपि शीघ्र ही छपने को भेजी जानी है।

(ग) ३१ जनवरी, १९६४ तक इतिहास के पहले तथा दूसरे खंडों के संकलन पर लगभग २,५८,८१३ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पहले खंड के मुद्रण और प्रकाशद पर २२,५०० रुपये खर्च हुए।

"वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज"

***५३७.**
श्री वारियार :
श्री दाजी :
ी वासुदेवन नायर :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :]
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की "वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज" योजना के अधीन विद्यार्थियों का चुनाव करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) राज्य वार छांटे गये विद्यार्थियों की सूची क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर तथा केरल राज्यों को छोड़ कर देश भर में ३०० से भी अधिक केन्द्रों में २३ फरवरी, १९६४ को एक "वैज्ञानिक प्रतिभा खोज" परीक्षा की गयी थी। इस में ये दो राज्य कुछ प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण भाग नहीं ले सके। उत्तर के पर्चे प्राप्त किये जा रहे हैं और उन्हें परीक्षकों को भेजने के लिये छांटा जा रहा है। परिणाम के जुलाई, १९६४ के प्रथम सप्ताह तक घोषित किये जाने की सम्भावना है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की पुर्नविलोकन समिति

*५३८. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की पुर्नविलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री० मु० क० चागला) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समिति ने नवम्बर, १९६३ में ही कार्य आरम्भ किया है।

सिनेमा घरों में राष्ट्रगान

*५३९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निदेश दिया है कि सिनेमा घरों में प्रत्येक 'शो' के बाद राष्ट्रीय गान बजाया जाना चाहिये ;

(ख) क्या ऐसे समाचार मिले हैं कि कुछ दर्शक प्रायः राष्ट्रगान का उतना आदर नहीं करते हैं जितना होना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् की जन-सम्पर्क समिति की सिफारिश पर ऐसे निदेश दिये गये कि अपराह्न और सांयकालीन (६–३० बजे) 'शो' के बाद सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाये।

(ख) इस प्रकार की कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए और बातों के साथ-साथ समाचार पत्रों का और सिनेमा मालिकों का सहयोग प्राप्त कर, जो इस बारे में उचित रूप से यह बतायें कि श्रोताओं को राष्ट्रीय गान के बजाये जाने के दौरान किस प्रकार व्यवहार करना है, उचित कदम उठाये।

कच्छ क्षेत्र में तेल की संभावनायें

*५४०. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था ने कच्छ के आस पास तटदूर क्षेत्र में तेल पाये जाने की संभावनाओं का पता चलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा

*५४१. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सेझियान :
श्री महेश्वर नायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा सन्तोषजनक रूप से दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञान तथा अन्य विभागों में भी इसको लागू किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इसको लोकप्रिय बनाने के लिये उपयुक्त कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा का प्रयोग सितम्बर, १९६२ के सत्र से ही आरम्भ किया गया था और पहला "बैच" सितम्बर, १९६५ में निकलेगा । अतः यह अभी नहीं बताया जा सकता कि पाठ्यक्रम संतोषजनक रूप से चल रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

सेक्शन आफिसर

१०३८. श्री विश्राम प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति सेक्शन आफ़िसर (प्रथम श्रेणी) लगे हुए हैं ; और

(ख) वे कितने समय से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) १० ।

(ख) ७-१० वर्ष सेवा ।

विद्यार्थियों का नामांकन

१०३६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नामांकन वर्ष १९६२–६३ के लिये निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितने लक्ष्य निर्धारित किये गये और प्राप्ति कितनी हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अतिरिक्त इमारतों और अध्यापकों के लिये उपबन्धों में तदनुरूप वृद्धि नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अध्यापन के स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और स्थिति के सुधारने और स्तर बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राथमिक	:	३३.४२ लाख (लक्ष्य)
		४१. ६ लाख (प्राप्ति)
माध्यमिक	:	४.०१ लाख (लक्ष्य)
		४.१९ लाख (प्राप्ति)

(ग) जी, हां । राष्ट्रीय आपात काल के कारण शिक्षा के लिये आवंटन में कमी के कारण ।

(घ) स्तर बिगड़ने न देने के लिये भारत सरकार ने वर्ष १९६३–६४ में राज्य सरकारों को अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने के लिये २ करोड़ रुपये का एक विशेष केन्द्रीय अनुदान दिया ।

Admissions in Universities

1040. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of students getting through the entrance examination in 1950-51 who got admission in universities/institutions for higher studies ;

(b) the number and percentage of such students in 1960-61 ;

(c) the estimates prepared in this respect for 1965-66 ;

(d) the expected increase in this number and percentage during the Fourth Plan period ; and

(e) the details of the measures contemplated to ensure that in the coming years increasing number of students do not have to go without admission for higher education and the standard of education does not fall due to want of other necessary facilities ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b).

(*i*) No. of passes in Matriculation (1950-51)	2,38,101
(*ii*) Enrolment in Pre-University/I year class of Intermediate (Arts & Science) (1951-52)	1,36,325
(*iii*) No. of passes in Matriculation (1960-61)	5,61,954
(*iv*) Enrolment in Pre-University/I year classes (Arts & Science) (1961-62)	3,28,388 (provisional)

The enrolment figures mentioned above include students who passed their Matriculation examination in 1950-51 and 1960-61. Since no information is maintained separately in respect of students who having passed their Matriculation examination enrol themselves in the following year, it is not possible to indicate the percentage of such students. The overall percentage of enrolment in Universities *vis-a-vis* passes in Matriculation is, however, 57·3 and 58·4 respectively for the two years referred to above.

(c) The University enrolment in 1965-66 is estimated at 13·02 lakhs.

(d) The expected increase in enrolment and percentage will be approximately 6 lakhs and 46% respectively.

(e) The University Grants Commission is providing assistsnce to Universities/Colleges for quantitative and qualitative improvements with a view to providing for increasing number and the maintenance of standards. of the various steps taken for ensuring quality of education, the important ones are revision of salary scales of teachers, introduction of three-year degree course, improvement of library and laboratory facilities, institution of scholarships and fellowships, travel grants, establishment of centres of advanced study, organisation of summer schools and seminars, research grants to teachers, exchange of teachers and provision of staff quarters and hostels.

अंडमान श्रम बल

१०४१ **श्री अ० सि० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६२–६३ में अंडमान श्रम बल द्वारा किये गये अन्य बड़े बड़े कार्यों के लिये प्रत्येक के लिये बिलों की राशि कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : अन्य बड़े बड़े कामों के लिये लगाये गये श्रमिकों की मजूरी के कारण बिलों की रकम निम्न प्रकार है :—

	रुपये नये पैसे
प्रभारी विभाग . . .	२७७३५.९०
गैर-प्रभारी (सेवा) विभाग	११०८५.००
गैर-सरकारी व्यक्ति	२०६०.८०
राष्ट्रीय दिवसों और अन्य महत्वपूर्ण उत्सवों के समारोह के सम्बन्ध में व्यवस्था . .	७१९०.४०
सरकारी क्वार्टरों की सफाई और बाड लगाना	७३७५३.६०

पुस्तकालय विज्ञान संस्था

१०४२. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ के अन्त तक पुस्तकालय विज्ञान संस्था से कितने व्यक्तियों ने एम० एल० बी० एस सी० की डिग्री प्राप्त की ;

(ख) पुस्तकालय विज्ञान में अग्रिम प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा सरकार ने अब तक कितने व्यक्ति भेजे हैं ; और

(ग) विदेशी विश्वविद्यालयों में यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये केन्द्राय सरकार ने कितने व्यक्तियों को छात्रवृत्ति दी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) ४२ ।

(ख) अभी तक कोई नहीं ।

(ग) पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत कोई नहीं ।

अध्यापक-प्रशिक्षण कालिजों में पुस्तकालय विज्ञान

१०४३. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन अध्यापक प्रशिक्षण कालिजों की क्या सख्या है जिन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत में विभिन्न अध्यापक-प्रशिक्षण कालिजों में स्कूल पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षित करने के लिये पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देने की योजना को वास्तव में क्रियान्वित कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

कालिज पुस्तकालयाध्यक्ष

१०४४. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष १९६२-६३ और १९६३-६४ में अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध सरकारी और गैर सरकारी कालिजों को कालिज पुस्तकालयाध्यक्षों का स्तर ऊंचा उठाने के लिये कुल कितनी धन राशि दी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

विश्वविद्यालय	१९६२-६३	१९६३-६४ (अब तक)
	रुपये	रुपये
आगरा	२००.००	३२०
आन्ध्र	१३२२.९८	१२२५
गोहाटी	४१२.५०	शून्य
गुजरात	५३८.५८	शून्य
मद्रास	१३०८.७५	१९३६.२५

उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय-स्कूल

१०४५. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे स्कूल, जिनमें पुस्तकालय हैं या जो पुस्तकालयध्यक्षों को प्रशिक्षित करें, खोलने के लिये ऋण अथवा अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि दी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये पृथक् रूप से कोई ऋण अथवा अनुदान मंजूर नहीं किया। चालू प्रक्रिया के अनुसार राज्य योजनाओं में सम्मिलित केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं के लिये केन्द्रीय अनुदान एक मुश्त मंजूर किया जाता है और योजना-वार नहीं।

समितियां

१०४६. श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में समितियों और उप-समितियों की कुल क्या संख्या है ; और

(ख) इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) ३४।

(ख) ३९०।

आन्ध्र प्रदेश में पोलिटेक्नीक

१०४७. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में दिसम्बर, १९६३ के अन्त में चल रहे लड़कों तथा लड़कियों के लिये पोलीटेक्नीकों की क्या संख्या है और वे किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) क्या वर्ष १९६४–६५ में इस संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिसम्बर, १९६३ के अन्त में २२ पोलीटेक्नीक चल रहे थे, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :

सामान्य पोलीटेक्नीक :

१. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, हैदराबाद

२. आन्ध्र पोलीटेक्नीक, काकीनाडा

३. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, विजयवाडा

४. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, वारंगल

५. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, विशाखापटनम

६. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, महबूबनगर

७. एस० वी० गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, तिरुपति

८. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, प्रोद्दात्तूर

९. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, निज़ामाबाद

१०. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, अनन्तपुर

११. एम० बी० टी० एस० गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, गुन्टूर

१२. गवर्नमेन्ट पोलोटेक्नीक, नेल्लोर

१३. ई० एस० सी० गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, नन्दियाल

१४. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्नीक, श्रीकाकुलम

१५. गवर्नमेन्ट कोरामिक इंस्टीच्यूट, गुडूर

१६. गवर्नमेन्ट माइनिंग इंस्टीच्यूट, कोठागुडम

१७. हैदराबाद पोलीटेक्नीक, हैदराबाद

१८. श्री एम० वी० एस० पोलीटेक्नीक, तनुकु

१९. गवर्नमेन्ट माइनिंग इन्स्टीच्यूट, गुडूर

२०. कृष्णादेवरिया पोलीटेक्नीक, वनपर्थी

लड़कियों के पोलीटेक्नीक

२१. गर्ल्स पोलीटेक्नीक, हैदराबाद

२२. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक फार गर्ल्स, काकिनडा ।

(ख) और (ग) राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में लड़कियोंके लिये दो और पोलीटेक्नीक स्थापित किये जाने की व्यवस्था है। इनके स्थानों समेत पोलीटेक्नीकों के लिये विस्तृत योजना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

गोल्फ

१०४८. { **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री ललित सेन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल की अखिल भारत गोल्फ प्रजेतृत्व को, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को राज-सहायता देने और उनमें से प्रत्येक को गोल्फ क्लब का एक सेट निशुल्क देने का है ताकि वे विदेशी गोल्फ खिलाड़ियों के समान बन सकें ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : इस बारे में भारतीय गोल्फ संघ ने अभी तक सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है। जब कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा, इस पर सरकार अखिल भारत खेल कूद परिषद् के परामर्श से विचार करेगी ।

टोकियों आलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी

१०४९. { श्री कर्णी सिंहजी :
श्री ललित सेन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अक्तूबर, १९६४ में टोकियो आलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिये जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). भारतीय आलम्पिक एसोसिएशन ने सितम्बर, १९६३ में बताया था कि उनको आलम्पिक खेल, १९६४ में भाग लेने के लिये भारतीय खिलाड़ियों को भेजने के लिये १,२९,००० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की अस्थायी तौर पर आवश्यकता है । इसमें भाग लेने वालों का अन्तिम रूप से चयन हो जाने पर और निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार इस मामले में कोई निर्णय करेगी ।

सेक्शन अफसरों की तालिका

१०५०. **श्री जेधे** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९ और १९६० में असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंटों की परीक्षा में छोड़े गये उम्मीदवारों की इस श्रेणी में पदोन्नति के लिये कोई तालिका बनायी गयी है ;

(ख) पदाली में से कब तक नियुक्त की जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उबमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). यह निर्णय किया गया है कि सेक्शन अफसरों की श्रेणी के लिये चयन सूची में शामिल किये जाने के लिये वर्ष १९५९ और १९६० की परीक्षाओं में छोड़े व्यक्तियों को सूची पांच वर्षों की अवधि के लिये अपेक्षित संख्या के लिये हर वर्ष थोड़ी थोड़ी करके सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार की जाये जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों, १९६२ में निर्दिष्ट है । सेक्शन आफिसर्स ग्रेड सीमित प्रतियोगी परीक्षा, १९६३ के परिणाक निकलने के बाद इस सूची में से चयन सूची में प्रथम नियुक्ति की जायेगी ।

उड़ीसा को सांस्कृतिक अनुदान

१०५१. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३-६४ में केन्द्रीय सरकार ने सांस्कृतिक योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) १९६४-६५ में उड़ीसा को कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) जी, हां ।

(ख) योजना का नाम	राशि
	रु०
१. उन व्यक्तियों के परिचय सम्बन्धी पुस्तक तैयार करना जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया	१,३६२·००
२. सांस्कृतिक मण्डलियों का अन्तर्राज्यिक विनिमय . .	७,०००·००
३. अग्र क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं के मनोरंजन के लिये सांस्कृतिक दलों का तैयार करना	३,८००·००
४. अजायब घरों का पुनर्गठन और विकास . . .	५०,०००·०० (आवंटित)
५. वर्तमान भारतीय भाषाओं का विकास . . .	४०,०००·०० (आवंटित)

(ग) १९६४–६५ में उड़ीसा सरकार को दिये जाने वाले अनुदानों की मात्रा राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर निर्भर होगी ।

उड़ीसा में जूनियर टेक्निकल स्कूल

१०५२. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने जूनियर टेक्निकल स्कूल खोले गये हैं ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के शेष काल में ऐसे कितने टेक्निकल स्कूल खोलने का विचार है ; और

(ग) ये स्कूल किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) उड़ीसा में अभी तक कोई जूनियर टेक्निकल स्कूल नहीं खोला गया है ।

(ख) और (ग). तृतीय योजना के शेष काल में औद्योगिक क्षेत्रों, अर्थात् चौदवाड़, सम्बलपुर, रायागाडा, रूरकेला, राजगगपुर, बारबिल और ताल्चेर के समीप राज्य सरकार ६ स्कूल स्थापित करना चाहती है ।

चण्डीगढ़ में भारत-स्विट्ज़रलैण्ड प्रशिक्षण केन्द्र

१०५२. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६३ में चण्डीगढ़ में जो भारत-स्विट्ज़रलैण्ड प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था, क्या उसने काम करना आरम्भ कर दिया है ?

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस समय केन्द्र में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र का कार्यक्रम निम्न है :—

(१) सूक्ष्म यन्त्रों को तैयार करने में तीन वर्ष का प्रशिक्षण देना;

(२) वैज्ञानिक उपकरण उद्योग में पहले से काम कर रहे दस्तकारों में से चुने हुए दस्तकारों को प्रशिक्षण देना।

(३) प्रशिक्षण कार्यक्रम के होते हुए जहां तक सम्भव हो चुने हुए उपकरणों का उत्पादन करना और केन्द्र की कर्मशाला में फुटकर कामों के लिये आदेश लेना; और

(४) भारतीय उपकरणों के उद्योग को सलाह देना।

(ग) ३६।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम

१०५४. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के नियम ४-क और ४-ख में इस बीच संशोधन किया गया है ; और

(ख) क्या नये संशोधन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा कार्मिक संघों में, चाहे वे सरकार से मान्यता प्राप्त हैं अथवा नहीं, शामिल होने की स्वतन्त्रता होगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) आचरण नियमों के नियम ४-क और ४-ख में संशोधन करने वाली दिनांक १३ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० डी० २४९६/६४]** यह वहां से देखा जायेगा कि सरकारी कर्मचारी ऐसी संस्था में शामिल हो सकते हैं जिसके उद्देश्य अथवा कार्यवाहियां भारत की एकता और प्रभुत्व अथवा सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के हितों के लिये हानिकर नहीं हैं।

चाय अनुसन्धान संस्था

१०५५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामपुरे :
श्री कोया : }

क्या शिक्षा मन्त्री ११ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ के उत्तर के में सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्था का ज्ञापन-पत्र और चाय अनुसन्धान संस्था के नियम और विनियम इस बीच बना लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो संस्था का निश्चित गठन और कृत्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस बीच में संस्था स्थापित कर दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) संस्था में संस्थापक सदस्य, साधारण सदस्य; नाम निर्दिष्ट सदस्य; और अन्य प्रकार के सदस्य—जिनके बारे में संस्था निर्णय करे—शामिल होंगे। पहली दो श्रेणियों के अन्तर्गत स्वामी, भागीदारी और समवाय (सरकारी अथवा गैर सरकारी) जो चाय का उत्पादन करते हैं, सदस्य होंगे। नाम निर्दिष्ट सदस्य, जो ६ से अधिक नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे जो सरकार, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, चाय बोर्ड और भारतीय चाय संस्था का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ग) जी हां, पंजीयन सम्बन्धी औपचारिक कार्य किया जा रहा है।

जिला विवरणिकाएं

१०५६. **श्री हेम राज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार वे जिले कौन कौन से हैं जिन्होंने अब तक अपने जिला विवरणिकाएं (डिस्ट्रिक्ट गजटियर्स) तैयार कर ली हैं और प्रकाशित कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या उनके तैयार करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ग) जिलों में यह काम किसको सौंपा गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) अब तक तैयार की गई अथवा प्रकाशित की गई जिला विवरणिकाओं की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५००/६४]**।

(ख) आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत के सभी जिलों की विवरणिकाएं प्रकाशित कर दी जायेंगी।

(ग) काम सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के गजटियर्स यूनिट्स को सौंपा गया है।

राज्य विवरणिकाएं

१०५७. **श्री हेम राज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने अपने राज्य विवरणिकाएं (स्टेट गजटियर्स) तैयार कर ली हैं और उन्हें प्रकाशित कर दिया है ; और

(ख) क्या राज्यों द्वारा इसके तैयार करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य विवरणिकाओं की एक पृथक् श्रृंखला होनी चाहिये, परन्तु परियोजना का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है, न ही कोई समय निर्धारित किया गया है।

कारतूस आदि

१०५८. **श्री गु० सि० मुसाफिर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा केवल गोली नं० २-४-६-७ का ही बहुत छोटी सी मात्रा में निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि एल० जी० और एस० जी० श्रेणी की बन्दूकों की गोलियां और पिस्तौलों, रिवालवर और विभिन्न प्रकार की राइफलों के लिये गोलियां भारत में बिल्कुल नहीं बनाई जातीं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जनता के सभी हथियार अर्थात् बन्दूकें, राइफलें, पिस्तौलें, और रिवाल्वर गोलियों के न मिलने के कारण बेकार हो गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) '१२' बोर की गोलियां संख्या २, ४, ६ और ७ लगभग २.५ से ३ लाख के हिसाब से प्रतिवर्ष तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त .२२ 'रिमफायर वाल' गोलियां भीं लगभग १५ लाख प्रति मास के हिसाब से तैयार की जा रही हैं ।

(ख) उल्लिखित प्रकार का गोली कारतूस आदि इस समय तैयार नहीं किया जा रहा है। तथापि, छोटी तोप के लिये एल० जी० और एस० जी० गोलियों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ग) जानकारी संबंधित अधिकारियों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Commutation of Death Sentences

1059. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons in U.P. in whose cases death sentences were commuted by the President and reduced to imprisonment in 1962 and 1963?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : Death sentence of 15 persons from the State of Uttar Pradesh was commuted by the President to imprisonment for life in the year 1962 and of 7 persons in the year 1963.

भारत को अमरीकी अनुसन्धान अनुदान

१०६०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के शिक्षा के कार्यालय ने हाल ही में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनुसन्धान अनुदान मंजूर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुदानों की कुल राशि कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) ७,७६,१३५.०० रु० ।

केन्द्र में राज्य सरकार के अधिकारी

१०६१. **वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से उनके प्रतिनियुक्त अधिकारियों को छोड़ने के लिये आग्रह किया है ।

(ख) वे कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्हों ने केन्द्र को इस संबंध में लिखा है; और

(ग) क्या केन्द्र ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) पिछले ६ महीनों में बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों ने १० अधिकारियों को छोड़ने के सम्बन्ध में लिखा है । ५ को वापस भेजने के लिये निर्णय कर लिया गया है जब कि ३ के मामलों में संबंधित राज्य सरकारें उन के रहने देने के लिये सहमत हो गई हैं । शेष दो अधिकारियों के मामलों पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी का पढ़ाया जाना

१०६२. श्री गु० सिं० मुसाफिरः क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में दिल्ली नगर निगम तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें पंजाबी को प्रथम श्रेणी में शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाया जा रहा है;

(ख) इसी प्रकार के ऐसे कितने स्कूल हैं जहां कि पंजाबी को छठी श्रेणी में ऐच्छिक विषयों में से एक के रूप में पढ़ाया जा रहा है;

(ग) दिल्ली नगर निगम तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पंजाबी को उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है; और

(घ) भाग (क), (ख) और (ग) में ऊपर दिये गये स्कूलों की सूची क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) (१) दिल्ली नगर निगम के स्कूल १२

(२) सरकारी स्कूल	*
(३) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	१२
(ख) (१) निगम के स्कूल	*
(२) सरकारी स्कूल	३०
(३) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	२

(ग) इस धारणा पर कि प्रश्न का संबंध उच्च माध्यमिक अवस्था पर पंजाबी के अध्यापन से है ;

(१) निगम स्कूल	*
(२) सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल	१३
(३) सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक स्कूश	१२

(४) चार सूचियां संलग्न हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५०१/६४] ।

Diaries of Dada Saheb Kharparde

1063. Shri E. Madhusudan Rao : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Archives of India have acquired important diaries belonging to the late Dada Saheb Kharparde of Amraoti (Vedarbh), a trusted colleague of Lokmanya Tilak.

(b) if so, the number of these diaries; and

(c) the advantages that the country would get out of these diaries?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) 47

(c) The material embodied in them deals with the life and times of Lokmanya Tilak and Kharparade and as such is of great importance to the students of contemporary history.

पोर्ट ब्लेयर की नगरपालिका के लिए चुनाव

१०६४. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्लेयर (अंडमान द्वीप समूह) नगर पालिका के चुनाव, जो अप्रैल, १९६४ में होने हैं, को स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उस नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनेक महत्वपूर्ण भागों ने इन स्थगनों का विरोध किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत नगरपालिका के चुने हुए अथवा नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि ३ वर्ष है। गृह-कार्य मंत्री की सलाहकार समिति की सिफारिश पर इसे बढ़ा कर ४ वर्ष किया जा रहा है, और संशोधन विनियम के प्रारूप के प्रख्यापन का प्रश्न विचाराधीन है :

(ख) लोगों के एक भाग ने विरोध प्रकट किया है कि वर्तमान नगर पालिका की अवधि को बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। परन्तु द्वीप समूह के लिये गृह-कार्य मंत्री की सलाहकार समिति ने एक मत से यह सिफारिश की कि संशोधन विनियम वर्तमान नगर पालिका पर भी लागू होना चाहिये।

अन्दमान के बारे में विनियम

१०६५. **श्री अ० सि०सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापन के लिये अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा भेजे गये प्रारूप मद्यनिषेध विनियम तथा भूधृति विनियम पर किस सीमा तक विचार कर लिया गया है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री ल० ना० मिश्र) : प्रस्ताव विचाराधीन है तथा द्वीप समूह के लिये गृह-कार्य मंत्री की सलाहकार समिति की आगामी बैठक में उन पर अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है क्योंकि प्रस्ताव बड़े उलझन वाले हैं इसलिये उन पर पूरी तरह विचार किया जाना है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

१०६६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को पंजाब सरकार ने कोई कानूनी सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) १९६३–६४ में अनुसूचित जातियों को पंजाब सरकार ने कानूनी सहायता दी है। परन्तु पंजाब में अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

(ख) ४,५०० रुपये।

पंजाब उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

१०६७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब उच्च न्यायालय में कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) कितने मामलों पर सुनवाई हो चुकी है तथा अब तक फैसला नहीं सुनाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी ली जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में क्रिकट के 'पिच'

१०६८. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में क्रिकेट के पिच अन्य देशों से घटिया किस्म के हैं; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Scholarships for women

1069. **Shrimati Chavda :**
Shri Wadiwa :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether some of the scholarships under various schemes of scholarships of the Union Ministry of Education are reserved for women; and

(b) if so, the percentage thereof to the total number of scholarships?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) None; scholarships are given on the basis of merit.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

१०७०. **श्री पें० वेंकटासुब्बया**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रथम श्रेणी तथा उस से ऊपर की श्रेणी के स्तर पर गतिरोध निश्चित करने की कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) अधिक भरती होने तथा पदोन्नति के अवसर पैदा करने के लिये क्या प्रोत्साहन देने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). कोई विशेष जांच नहीं की गई थी परन्तु एक प्रतिनिधान मिलने पर इस का पता लगा कि प्रथम श्रेणी के २४० अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चुनाव श्रेणी के ७० अधिकारी अपने वेतन क्रम का अधिकतम पा रहे हैं।

(ग) इन नौकरियों के वेतन क्रम कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारियां और अन्य उचित बातें ध्यान में रख कर निर्धारित किये जाते हैं। ऊंचे पदों पर पदोन्नतियां स्थानों के रिक्त होने तथा अधिकारियों की योग्यता तथा उपयुक्तता पर आधारित होती हैं। सरकार का विचार है कि जो पारिश्रमिक इन श्रेणियों को मिलता है तथा योग्य अफसरों को पदोन्नति के जो अवसर मिलते हैं वे सेवा तथा उद्योग के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन हैं।

बरोनी में कोक निस्तापन परियोजना[1]

१०७१. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में कोक निस्तापन परियोजना स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या "मैसर्स त्याजप्रोमएक्सपोर्ट" से कारखाने के डिजाइन के आंकड़े इस बीच मिल गये हैं; और

(ग) परियोजना कब तक चालू हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) और (ख). "मैसर्स त्याजप्रोम-एक्सपोर्ट" मास्को से हाल में ही बरौनी में कोक निस्तापन कारखाना स्थापित करने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तथा कार्यवहन ड्राइंग बनाने के लिये प्रारूप 'ठेका' मिल जाने की आशा है।

(ग) ठेके पर हस्ताक्षर होने के लगभग बीस महीने बाद।

Notifications of Andaman and Nicobar Administration

1072. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the arrangements being made to publish notifications of Andaman and Nicobar Administration along with their Hindi translation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : The Matter is under examination. It is hoped that necessary decision will be taken shortly.

[1]Coke Calcination Project.

Scholarships for Studies Abroad

1073. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students selected for studies abroad with scholarships under schemes administered by the Ministry of Education during 1963-64; and

(b) the countries to which they would be sent and the names of the States to which they belong ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). The required information is given in the statement attached.

Statement

S. No.	Name of the Scheme	Number of Students selected			Countries of Study
		Number	State-wise distribution		
1.	French Government Scholarships for Higher Studies, 1963-64.	3	Maharashtra	1	France
			Punjab	1	
			U. P.	1	
2.	Swiss Government Scholarships, 1963-64.	1	Madras		Switzerland
3.	Czechoslovakian Government Scholarships, 1963-64	1	Maharashtra		Czechoslovakia
4.	Japanese Government Scholarships, 1963-64	1	Delhi		Japan
5.	German Academic Exchange Service (West Germany) Scholarships for Advanced work and research, 1963	2	Andhra Pradesh	1	West Germany
			West Bengal	1	
6.	German Democratic Republic Scholarships Scheme for post-Graduate Studies, 1963.	2	Andhra Pradesh	1	East Germany
			Madhya Pradesh	1	
7.	People's Friendship (Patrice Lumumba) University, Moscow, Awards, 1963-64.	32	Bihar	2	U.S.S.R.
			Delhi	5	
			Kerala	3	
			Madras	3	
			Punjab	12	
			U.P.	5	
			West Bengal	2	

रांची में तकनीकी प्रशिक्षण संस्था

१०७४. **श्री राम हरख यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के सहयोग से रांची हैवी इंजीनियरिंग कारखाने के निकट एक नयी प्रशिक्षण संस्था चालू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब चालू हो जायेगा ; और

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र की खपत क्षमता क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) रांची में ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकीय संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है परन्तु जर्मनी का सहयोग नहीं लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से संस्था की सहायता के लिये कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) आवश्यक जरूरतें पूरी होने पर संस्था में कार्य शुरू हो जायेगा।

(ग) संस्था के पूर्णतया स्थापित हो जाने के बाद उसमें प्रति वर्ष ३०० इंजीनियर विशेषज्ञों तथा टैक्नीशियनों का प्रशिक्षण होगा।

कोयली तेलशोधक कारखाने के लिए पुर्जे

१०७५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कोयली के तेल शोधक कारखाने के लिए आवश्यक पुर्जों के निर्माण के लिये तेल शोधक कारखाने के निकट एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का व्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखे

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गया। देखिये संख्या एल० टी० २४६०/६४।]

(दो) राजस्व प्राप्तियों संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २४९१/६४]

(२) विनियोग लेखे (असैनिक), १९६२–६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४९२/६४ ।]

(३) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, १९६४ की एक प्रति ।

[पुस्पकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४९३/६४]

(४) विनियोग लेखे, डाक तथा तार, १९६२–६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४९४/६४)]

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (पहला संशोधन) आदेश

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(५) वर्ष १९६२–६३ के लिये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४९५ / ६४]

(६) कापीराइट अधिनियम १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत, दिनांक ३१ जनवरी, १९६४ को अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४२८ मे प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (पहला संशोधन) आदेश, १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४९६/६४]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :

(७) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूचि ३ मे कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४९५ ।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७६१ ।

(ग) दिनांक ४ जनवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या २ ।

(घ) दिनांक १६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या २७७ ।

(दो) दिनांक ९ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७३९ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवानिवृति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति।

(तीन) दिनांक १ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९ मे प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, १९६४ की एक प्रति।

(चार) दनांक १५ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२३ मे प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) संशोधन नियम, १९६४ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४९७/६४]

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उस की समीक्षा

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(८) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिये हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(९) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४९८/६४]

विधेयक पर राये

OPINION ON BILL

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम): मैं भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के बारे मे, जिस पर १३ दिसम्बर, १९६३ को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया गया था, पत्र संख्या १ सभा पटल पर रखती हूं।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मुझे राज्य सभा स प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा ३ मार्च, १९६४ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६४ के बारे मे लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अम्बाला जेल में एक संसद् सदस्य के साथ किये गये बर्ताव के बारे में

RE: TREATMENT TO AN M.P. IN AMBALA JAIL

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Whenever any harm is intended to be done to the body or the self respect of a Member, and an expression is given to the feeling that better regard ought to be shown for the same, it should not at least provoke a sardonic laughter. Secondly, when law and order situation is deteriorating to such an extent in our country, it is better if we have a full discussion over it. This is the point of order that I want to raise.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): When questions were being raised here about the hon. Member Shri Kachhavaiya, one hon. Member had commented that the increased weight of the hon. Member was a clear indication of the fact that he was treated well. I submit that such comments hould not appear on the record.

Shri Bade (Khargone): My submission is that allegations have been hurled upon us. We are not able to express the treatment meted out to us in jails. I want you to appoint an enquiry commission which may institute an enquiry acout the behaviour of the Punjab Government. It is a question in which the prestinge of all of us is involved.

Mr. Speaker : You know that such a Committee cannot be appointed. Let them enquire into the facts first. I have asked them to supply me also a copy of the report, so that I come to know about the facts. Thereafter, you can suggest some remedy and we, along with the Home Minister, shall discuss the whole issue.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur) : Sardar Daljit Singh has said that when the hon. Member came out of the jail he had gained in weight. That was a serious allegation which must be enquired into, and thereafter the facts should be laid on the Table.

This matter of prestige should be a matter of concern for all Members, since the Punjab Government is capable of such behaviour unto anybody.

Mr Speaker : My difficulty is that the hon. Members hurl allegations upon each other, in which case I am unable to take action. Had some other person done the same, I could take action against him.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): एक कांग्रेस सदस्य होने के नाते मैं आश्वासन दे सकता हूं कि दल के आधार पर सदस्यों में भेद करने की बात नहीं है। वास्तव में, हम सभी संसद सदस्यों के सम्मान के बारे मे चिंतित हैं। हम सब यही चाहते हैं कि एक संसद् सदस्य के साथ, चाहे वह किसी भी दल का हो, दुर्व्यवहार न किया जाये।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Just now you said that you can hardly take any action if hon. Members hurl allegations upon each other. I am very much pained to hear it from you sir, since you are our Speaker. I consider it unfair on your part.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : वैसे तो मैं समझता हूं कि श्री दलजीत सिंह ने कोई बहुत अनुचित बात नहीं कही है। परन्तु मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह बहतर होगा यदि माननीय सदस्य स्वयं अपने शब्दों को वापस ले लें।

Shri Daljit Singh (Una) : I submit that if an enquiry is held in this matter, the report of the Doctor of the jail should also be called.

Mr. Speaker : It is not so easy to take a decision in such a matter.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : विरोधी पक्ष के सदस्य, विशेषतया डा० लोहिया, अपने भाषण में प्रधान मंत्री के विरुद्ध व्यक्तिगत निर्देश किया करते हैं । अब वह इस बारे में स्वयं आपत्ति कर रहे हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I have never said anything personal, so this allegation should not be made against me.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६३-६४—जारी

DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1963-64—*Contd.*

Shri Vishram Prasad (Lalgunj) : The amounts sanctioned by the House as Supplementary Grants are not usually fully utilised and, therefore, surrendered in the month of March. The Finance Ministry should see that such variations are removed.

In spite of the fact that expenditure on general administration and police have increased since the year 1956-57, corruption, murders and robberies, were on the increase. Rate of increase in the expenditure on development and agriculture was less comparatively. The burdern of loan on our country is also increasing. Unemployment, Starvation and corruption are there.

The farmers, who contribute 45 percent toward the budget revenues, have not been given any incentive. No special consideration has been shown to them. Adequate irrigation facilities are not provided, nor proper price is being paid to the farmer for their produce. Controls that are going to be introduced perhaps may worsen the situation further.

Government should take such measures that the necessity for supplementary grants may not arise and the grants originally sanctioned should suffice.

Tax-evasion ought to be checked. Arrears of tax should be realised and expenditure reduced.

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ का ध्यान आकर्षित कर के बोलने की अनुमति प्राप्त करने वाले नियम का पूरी तरह पालन किया जायगा ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं सरकार और सम्बद्ध मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दलाना चाहता हूं कि कलकत्ता में जनगणना बहुत त्रुटिपूर्ण ढंग से हुई है । हम ने यह बात जब जनगणना सुपरिन्टेन्डेन्ट के ध्यान लाई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो काम जिस प्रकार उनके कर्मचारियों ने किया है वह ठीक है । इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए । जनगणना में जो त्रुटि रह गई है उसे ठीक किया जाना चाहिए ।

Shri Sivamurthy Swamy (Koppal) : Mr. Speaker, Sir, supplementary demands for grants, to the tune of rupees 100 crore or more have been placed before the House. It only shows how inaccurate we are inframing the estimates.

2677(Ai- LSD—5.

The decision in repect of major projects to be undertaken during the Fourth Five Plan is soon going to be finalized. In this connection I would like to submit that the work of upper Krishna and upper Tungabhadra projects, for which survey has already been completed, should be taken up without any further delay so that several areas, which are at present scarcity areas and which have to face famine conditions every year are salvaged from these extremities.

The Gulati Commission which was set up for finding out some solution to solve the disputes between various States about the distribution of river waters has submitted its report. This Commission included some of the prominent Chief Engineers and Ex-Chief Engineers who have prepared this report after carrying out a scientific study of the problem. As such, I would request you to give an opportunity to the House for having a discussion on this report.

The other submission I would like to make is, that the present system of distributing the water between various states on the basis of agreement arrived at in 1951 on the basis of recommendtions made by the Gulati Commission set up for the purpose should be discontinued as the agreement of 1951 does not suit the present context of things because of the fact that the states have since been reorganised.

In the Tungabhadra area land to the extent of one lakh and twenty-five thousand acres has been earmarked for growing sugarcane. The local people there have been requesting the Government for a long time to take necessary steps for setting up a sugar factory in that area. I, too, on several occasion have drawn your attention and the attention of this House towards their legitimate demand. A petition for setting up of Kamalapur Cooperative Sugar Factory has been submitted to the Petition Committee by 4800 signatories. The Government's contention for not opening the sugar factory in question on the plea that the area does not produce required quantity of sugarcane, does not appear to be convincing as the requirement of 2,000 or 3,000 acres of sugarcane growing area for setting up a sugar factory is more than fulfilled because the sugarcane is grown over 8,000 acres of land in this area. The yield per acre in this area is also possibly the highest in the country, being 33 tonnes per acre. Government should state specifically why they are unwilling to accept the proposal of setting up a cooperative sugar factory there. Shri Morarka, an hon. member of this House has been running a sugar factory in Hospet for which cane supply quota has been raised from previous 400 tonnes per day to 1250 tonnes now. My suggestion is that either that factory should be assigned the task of crushing all the sugarcane available or quota should be fixed in respect of that factory once for all and for crushing rest of the sugar-cane a cooperative sugar factory should be established.

Now, I would make a few observations about rural electrification. The persons, who have set up new villages, like refugees, uprooted from their land and houses for the sake of construction of dams, are being neglected in respect of supply of electricity. Their requirement regarding electricity should be given a thoughtful consideration so that the work of lift irrigation is facilitated.

In the end, I would like to submit that the rate of interest at present being charged from the States for the loans advanced to them for carrying out the work of various projects is rather high, being 4 or 4 1/2 per cent. It is a strenuous burden on the States which are already defficient in resources. The Mysore State is paying Rs. 20 crores as interest for the loans advanced in respect of Shravathi and other projects though it would take four or five years more before these projects are commissioned and the supply of electricity and water is made available to the consumer. Keeping these things in view the rate of intrest should not be higher than 2 per cent.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : I have moved a cut motion on demand No. 137. This Demand is regarding scientific and Industrial Research. Ever since the new Director-General has taken its charge, the Council is stricken with favourtism, nepotism, extravagance and wantonness. Therefore I propose that either its expenditure should be cut by Rs. 50 lakhs, or the Council be wound up. If the above two alternatives are not acceptable, then an enquiry should be held into the affairs of the said Council.

They say that sum of Rs. 1 lakh was spent on refurnishing and remodelling of the Director General's room. I was told by one Under Secretary there, that enquiry is being held into this affair and that I could enquire about the fact again. But when I tried to know facts from the Secretary himself he bluntly refused to tell me anything.

Mr. Speaker : The hon. Members should always ask the Ministers for any kind of information that they require.

Shri Kishen Pattnayak. I am not trying to accuse anybody. I wanted to tell that I was not able to know about the accounts easily.

Shri Bade (Khargon) : We agree to obey the direction of the chair but when we phone to Minister he directs us to P.A. and P.A. further directs us to the Secretary and the information is avoided.

Mr. Speaker : If there is any such case that should be brought to my notice but they should not lowerthemselves to ask the information from the officials.

Shri Kishan Pattnayak : So I have made these two allegations one about extravagent expenditure and the other about appointments. All appointments, transfers and promotions made during the tenure of this Director Generals should be enquired into. How is that the laboratory at Hyderabad has become the treasure house of all talents for promotions and all other laboratories are defunct ?

Not only this favouritism is being indulged in but the greater talents at other laboratories are also being put to harm. The national laboratory of Calcutta which is working since the year 1956 is being shifted to Kalyani at a distance of 30 miles from Calcutta. All these allegations should be properly enquired into.

Shri Himatsingka ((Godda) : I wish to speak on demand no. 128 which provides for 257 crores of rupees for import of foodgrains.

If this trend of importing foodgrains continues India would soon become bankcrupt. Endeavours should be made to increase the food production. Santhal Pargana is such an area where there are several rivulets. If those are channelised the production of foodgrains can increase manyfold.

In my constituency there are several blocks but schemes are not implemented because of lack of funds. Arrangement of water supply can increase the production considerably.

Two things should be dealt with by State Trading. Firstly it should supply improved implements, seeds and fertilizers. Such measure would help a lot in increasing the production. Similar things should be done and people would wholeheartedly co-operate with the Government.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Shri Gobind Sahai the General Secretary U.P. Congress had recently said that 40 per cent tube-wells are lying useless because the operators have not been bribed by the Government. I suggest that the Government should make the farmers self-sufficient and allow them to sink their tube-wells and give them some subsidy. They can sink wells at the cost of about rupees 15 thousand whereas the Government spends rupees 75 thousand. Thus Government is investing lot of money in irrigation projects but to no avail.

26·00 billion of rupees are being paid to America for getting foodgrains from them. This is a slur on us. Out of this huge amount to 100 billion of rupees be paid to the farmers so that he should get implements and improved seeds and the country would become self-sufficient.

Government have failed to provide accommodation for its employees.

As regards defence, I would ask the Government whether they have any scheme to recover the area of 38,000 square miles which is under Chinese occupation. Government should not accept the Macmahon line which was fixed by the imperialists to keep India under their subjugation.

Pakistanis are firing at Ramgarh. They take away our women and our policemen. Under such state of affairs what is the use of huge amounts as grants.

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांग संख्या ४३ और १२३ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

मांग संख्या ४३ केरल की मछली पालन परियोजनाओं के सम्बंध में हैं । भारत, नार्वे और इंगलैंड के बीच तीसरा अनुपूरक करार हुआ है जिसके अनुसार इन परियोजनाओं को विस्तृत करना है इसलिए ४,६१,००० रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी गई है ।

दूसरी मांग अनाज खरीदने के बारे में है । इसमें से २०.३० करोड़ रुपया इस देश में और ३ करोड़ रुपया अन्य देशों में खर्च किया जायगा । १९६२–६३ में मंगाये गये चावल के लिए १५·०० करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है । कुल २५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

श्री वासुदेवन नायर ने कहा था कि भारत नार्वे परियोजना के लिए बहुत से पद बनाये जा रहे हैं । वास्तव में जो चार पद समाप्त किये गये थे उनके स्थान पर २ पद बनाये गये हैं और इससे प्रशासन में बचत की गई है । उन्होंने कोचीन की मछली पालन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना में विलम्ब का उल्लेख किया था । उस संस्था का पहला पाठ्यक्रम १६ मार्च, १९६४ से शुरू हो जायगा ।

Shri Bade ! I wish to draw the attention of the Government to Demand No. 21.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

This demand provides for 75,000 of rupees to be given to the backward class for construction of their houses. It is welcomed. But the tribal communities of Madhya Pradesh have got land hunger. They would not construct houses

with the money you would give them. Moreover there is such corruption among the government officials. Demand No. 112 provides that

उपराष्ट्रपति हवाई जहाज की वजाय गाड़ी में सफर किया करेंगे ताकि लोगों के साथ अधिक निकट सम्बंध हो ।

But even if he travels in train he would not come in contact with the common man. I suggest that our Prime Minister and the President should travel by train and also the people should be provided with the facility to meet them.

In demand No. 126

स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए ३·७५ करोंड़ रुपय की व्यवस्था की गई है ।
This provision is not sufficient.;

Demand No. 140 is related to the construction of residential a accommodation. I have noted that the President of the Congress provided with a rent free building. Then why free accommodati provided to the Presidents of other parties. 50 lakhs of rupees can be such buildings are taken back.

Shri Krishna Menon is living in Prime Minister's Estate some others are living in Presidents Estate. Such practice should be abolished.

The scientists are given a salary of Rs. 400 in the National Physical Laboratory and due to such profitable conditions the scientists are going abroad.

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण): यह देश कृषि प्रधान है । अतः हमारे बजट का ८० प्रतिशत व्यय गांवों पर होना चाहिये किन्तु इसके विपरीत अधिक धन नगरों पर खर्च किया जाता है और पिछले १७ वर्षों गांव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ ।

महात्मा गांधी ने १९४७ में कुछ पहले कहा था कि बड़े बड़े नगर भारत नहीं हैं । भारत तो गांवों मे है अतः हमें उनकी स्थिति को सुधारना है । किन्तु सरकार उन्हें भूल गई है । और बड़े बड़े उद्योग स्कूल कालेज आदि सब नगरों में स्थापित किये जा रहे हैं ।

खाद्यान्न का बड़ा महत्व है और कृषि प्रधान देश मे विदेश से खाद्यान्न मंगाना लज्जा की बात है । कृषक अधिक अनाज पैदा करें इसके लिए हमें उनकी सब बाधाएं दूर करनी चाहिये । उन्हें खाद समय पर नहीं मिलती । उर्वरक मंहगे हैं । सिचाई की सुविधाओं से भी वे वंचित रहते हैं ।

खेतोहर श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय है । बंजर भूमि सर्वेक्षण कृषिकरण समिति के अनुसार २५० एकड़ भूमि उनमें बांटी जा सकती है और उससे उत्पादन मे भी वृद्धि हो सकती है ।

भूमि की अधिकतम सीमा और पट्टेदारी सम्बंधी कानून केवल पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश मे बनाये गये हैं । न तो जमीदार ही खुश हैं और न ही पट्टेदार । अधिकतमसीमा लागू करने के बाद फालतू भूमि का वितरण करने से भी उपज बढ़ सकती है ।

Shri H. Soy (Singhbhum): I am glad to know that Australia is going to give use paper for the preparation of books for primary classes. This offer should be properly utilized.

In several areas of the country the children of tribal people are tought in the medium of Hindi in this primary classes. This is an injustice. Their mother tongue is not Hindi. Hindi should not be imposed upon them. But they should be taught in their own languages.

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय को अनुपूरक मांगों के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारत का भविष्य अंधकारमय है। सीमा की स्थिति दयनीय है। सरकार सचेत और सजग नहीं ।

पाकिस्तान हजारों की संख्या मे लोगों को यहां भेज रहा है और हम संसार का यह नहीं बता सके कि यहां क्या हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि प्रतिरक्षा मंत्रालव के गजट में १०३ करोड़ रुपय की बचत दिखाई गयी है। एसा क्यों है ? उन्होंन कार्यक्रमों को कायन्वित क्यों नहीं किया।

सीमा क सम्बंध मे मुझे यह सुझाव देना है कि वहां के लोगों को आयु वृद्धि की जाए और उनके लिए प्रशिक्षण शिवर खोल जाएं। वे अपने प्रदेश को भौगोलिक स्थिति को जानते हैं और उसकी रक्षा मे अधिक योगदान देंगे ।

उस क्षेत्र मे परिवहन की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। हमें विदेशों की सहायता पर निर्भर नहीं करना चाहिये बल्कि स्वयं तैयार होना चाहिये । सीमा क्षेत्र के गठन के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री त्यागी की इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिये यथासंभव प्रयत्न करने चाहियें। जहां तक प्रतिरक्षा के लिये निर्धारित राशि का सम्बन्ध है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि सरकार ने जानबूझ कर इस राशि का प्रयोग नहीं किया है। वास्तव में बात यह है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादनों के लिये कच्चे माल तथा अन्य अर्धनिर्मित वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो अपेक्षित मात्रा में प्राप्त नहीं किये जा सके।

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या आयव्ययक प्रस्ताव तैयार करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया था ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ध्यान अवश्य रखा गया था। किन्तु बाद में विदेशी मुद्रा, प्रविधिज्ञों तथा कच्चे माल के अभाव के कारण हम उतना उत्पादन नहीं कर सके जितना कि चाहते थे। प्रतिरक्षा मंत्रालय उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है।

माननीय सदस्य ने दूसरी महत्वपूर्ण बात अनिवार्य रूप से भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में कही है। मैं इस मामले को प्रतिरक्षा मंत्री को सौंप दूंगी।

श्री रंगा का यह आरोप गलत है कि नेफा को भेजा गया सैनिक सामान कलकत्ता के बाजारों में बेचा गया। इस मामले में विशेष पुलिस विभाग द्वारा जांच की गई थी और इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। श्री मसानी का यह कहना भी गलत है कि विमानों से सामान ले जाने के लिये ठेका देने में पक्षपात किया गया है, क्योंकि विज्ञापन द्वारा इस कार्य के लिये टैंडर मांगे गये थे और टैंडरों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही इसका ठेका दिया गया था। श्री रंगा के इस आरोप में भी कोई तथ्य नहीं है कि विमान द्वारा सामान ले जाने के सम्बन्ध में प्रकाशित की गई पुस्तिका में

सैनिक महत्व की सूचना दी गई थी। प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा गृह-कार्य मंत्रालय इस पर विचार करने के पश्चात् इस परिणाम पर पहुंचे कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी ।

माननीय सदस्य लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं । इसलिए उन्हें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नेफा को विमानों द्वारा भेजे सामान का ब्योरेवार हिसाब रखा जाता है। विमानों से सामान गिराने पर होने वाली हानि में से ४ प्रतिशत से अधिक हानि ठेकेदार को पूरी करनी पड़ती है। इस प्रकार के सामान गिराने में ५ प्रतिशत की हानि होना साधारण बात है।

श्री रंगा ने सिलीगुड़ी सड़क कम्पनी की भी चर्चा की है। इस कम्पनी के लिये कुछ धनराशि की मांग की गई है क्योंकि इसे विभागीय निकाय के रूप में न चलाकर उसे पूरे स्वायत्त अधिकार देने का विचार है। स्थायी आधार पर संगठन चलाना सभी दृष्टियों से अच्छा है क्योंकि हम आसाम तक स्वतंत्र रूप से सड़क परिवहन बनाये रखना चाहते हैं । रेल परिवहन अथवा नौ परिवहन पर निर्भर रहने पर कभी आवश्यकता पड़ने पर कठिनाई पैदा हो सकती है। यदि रंगा इसके सम्बन्ध में और जानकारी चाहते हैं तो सम्बन्धित मंत्रालय से उन्हें जानकारी मिल सकती है।

चालू वर्ष में स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिये ऋणों के रूप में राज्यों को अनुदान के लिये ३.७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और यदि आवश्यक हुआ तो अगले वर्ष और धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। सरकार स्वर्णकारों के पुनर्वास की यथाशक्ति व्यवस्था कर रही है। किन्तु कभी कभी स्वर्णकार सरकार के इस कार्य में सहयोग नहीं देते हैं। वे वित्त मंत्रालय द्वारा स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किन्तु सरकार अपनी नीति पर दृढ़ है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस पुनर्वास के कार्य का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है ।

साम्यवादी दल के सदस्य ने बेलजियम की बेल टेलीफोन कम्पनी के केबल्स के लिये सहयोग के शर्तों की चर्चा की है। वास्तव में यह सहयोग 'केबल्स' के सम्बन्ध में नहीं अपितु क्रास बार का सामान बनाने के सम्बन्ध में है। कम्पनी की सहयोग सम्बन्धी शर्तें हमारे पक्ष में हैं। यह कम्पनी सारे संसार में प्रसिद्ध है। भारत सरकार के सभी विभागों का इस कम्पनी से सम्पर्क है।

यह अच्छी बात है कि माननीय सदस्यों ने वस्तुओं की, विशेष रूप से नलकूपों की, देखभाल करने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। यह मामला खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि इन नलकूपों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो यह राष्ट्रीय अपव्यय है।

कुछ माननीय सदस्यों ने लेखा परीक्षा की रिपोर्टों के बारे में आपत्ति की है। प्रायः ये रिपोर्टें फरवरी में प्राप्त होती हैं और उन्हें आवश्यक जांच पड़ताल के बाद बिना विलम्ब १५-२० दिनों के अन्दर सभा में प्रस्तुत किया जाता है। महालेखा परीक्षक की रिपोट प्रस्तुत करने में कभी थोड़ा विलम्ब हो सकता है क्योंकि फरवरी मास में सारे मंत्रालय आयव्ययक सम्बन्धी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। फिर भी रिपोर्ट यथासंभव प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है।

राजस्व के अनमान कुछ कम लगाने तथा व्यय के प्राक्कलनों को अधिक रखना हमारे लिये अनिवार्य हो जाता है। आयव्ययक १५ महीने पहिले तैयार करना पड़ता है। हमें आयव्ययक तैयार करते समय आर्थिक परिस्थिति की जटिलताओं का ध्यान रखना पड़ता है जिससे ठीक ठीक

प्राक्कलन तैयार करना असंभव हो जाता है। जब से यह कार्य लोक लखा समिति ने अपने हाथ में लिया है तब से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राजस्वों का अनुमान अधिक और व्यय का कम किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १० मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Cut motion No. 10 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इन मांगों को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६३-६४ के लिए आयव्ययक सामान्य के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The follwoing Demands for Supplementary Grants in respect of Budget (General) 1963-64 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	प्रतिरक्षा मंत्रालय	१,१८,०००
१२	सम्भरण तथा निपटान	१२,२१,०००
१४	शिक्षा मंत्रालय	२,००,०००
१५	शिक्षा	७६,००,०००
१७	आदिमजाति क्षेत्र	६५,००,०००
२१	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	२,२५,०००
२६	संघ उत्पादन शुल्क	१०,००,०००
२७	निगम कर आदि सहित आय पर कर	१५,००,०००
३३	पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	६३,८९,०००
३५	अफीम	४६,००,०००
३६	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५२,००,०००
३८	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	३,५०,००,०००
३९	केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	५,००,०००
४३	कृषि अनुसन्धान	४,९१,०००
५५	जनगणना	५,५३,०००
६०	अन्देमान और निकोबार द्वीपसमूह	३७,२७,०००
६३	लक्कद्वीप, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह	१८,६३,०००
६८	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	९,७२,०००
६९	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	१८,००,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७०	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	७९,००,०००
७३	श्रम और रोजगार मंत्रालय . .	८३,९५,०००
८६	वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य .	१,३०,००,०००
९५	प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश पोत .	३,८०,०००
९९	भारतीय डाक तथा तार	३,५५,००,०००
१००	डाक तथा तार—सामान्य राजस्व में लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग . .	३,७३,८६,०००
१०२	लोक निर्माण-कार्य . .	२,५०,००,०००
१०३	लेखन-सामग्री और मुद्रण	३,१४,००,०००
१०४	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	३५,२९,०००
११२	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२५,०००
११७	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	८३,००,०००
११८	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	२७,००,०००
१२०	चल-मुद्रा और सिक्के पर पूंजी परिव्यय . . .	१,९५,४८,०००
१२३	पेन्शनों का राशिकृत मूल्य	२४,७२,०००
१२४	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	६,०४,००,०००
१२६	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . .	४,००,००,०००
१२८	खाद्यान्नों का क्रय	२५,००,००,०००
१३३	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	१,०००
१३५	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	४,६०,०००
१३७	वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	१,५०,००,०००
१३९	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	२,७७,६८,०००
१४२	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	१,०००
१४३	डाक तथा तार विभाग पर पूंजी परिव्यय . . (राजस्व से नहीं दिया गया)	४,२६,६९,०००
१४४	लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . .	५०,००,०००
१४५	दिल्ली पूंजी परिव्यय	१०,९०,६४,०००
१४६	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	९३,००,०००

विनियोग विधेयक, १९६३-६४

APPROPRIATION BILL, 1963-64

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the schedule, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

शिक्षा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी। इस के लिए ७ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। माननीय सदस्य मांगों के बाद अपने कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।

वर्ष १९६४–६५ के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८	शिक्षा मंत्रालय	७९,०७,०००
९	शिक्षा	३३,५२,९०,०००
१०	पुरातत्व	१,१७,६१,०००
११	भारत का सर्वेक्षण	३,८१,४२,०००
१२	वनस्पतिक सर्वेक्षण	२५,९९,०००
१३	प्राणिकीय सर्वेक्षण	२३,८०,०००
१४	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१०,८२,६१,०००
११४	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	५,१,३३३,०००

शिक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८	१	श्री विश्राम प्रसाद	शिक्षा का स्तर उठाने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को पर्याप्त शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने में असफलता	राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाये
8	2	Shri Ram Sawak Yadav	Uniformity in Primary Education and discontinuance of English as the medium of Education.	Sum to be reduced to Re. 1/-
६	५	श्री मी० रु० मसानी	पाठ्य पुस्तकों की घटिया किस्म, अधिक मूल्य, अपर्याप्त संभरण तथा नकली पुस्तकों का प्रकाशन	१०० रुपये
६	६	श्री विश्राम प्रसाद	राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित, साहित्य लिखने के लिए वित्तीय सहायता, ललित कला अकादमी के कार्य का निर्धारण तथा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	७	श्री बड़े	दिल्ली के स्कूलों में रोकड़ का काम करते वाले क्लर्कों को अधिक वेतन देने, तथा विभिन्न स्कूलों और कालेजों में शिक्षा संबंधी योजनाओं में समन्वय की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
8	8	Shri Ram Sewak Yadav	Need to enquire into the affairs of council of Scientific and Industrial Research and Vishwa Bharati.	Rs. 100
९	११	श्री बड़े	स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के बारे में पुस्तक प्रकाशित करना तथा राज्यों को शिक्षा के लिये सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
११	१६	श्री वासुदेवन नायर	सर्वे आफ इंडिया के कर्मचारियों पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	१८	श्री वासुदेवन नायर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य में अकुशलता ।	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या ५ स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में दो मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि सरकार द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें घटिया किस्म तथा ऊंचे मूल्य वाली हैं। ये पर्याप्त संख्या में बाजार में उपलब्ध नहीं की जाती हैं। दूसरी बात यह है कि बाजार में बड़ी संख्या में नकली तथा जाली पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। यह खेदजनक बात है कि पाठ्य पुस्तकों का स्तर गिरता जा रहा है और देश के प्रगतिशील व्यक्तियों को इन से कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है।

शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार सरकार को पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए जर्मनी, आस्ट्रेलिया तथा स्वीडन द्वारा मुद्रणयंत्र तथा कागज दान के रूप में दिये जा रहे हैं, जो सराहनीय है। किन्तु सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इन का प्रयोग अच्छे किस्म की पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने के लिए किया जाना चाहिये।

पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन का एकाधिकार होना खतरनाक बात है। इस से प्रजातांत्रिक स्वतंत्र विचारधारा का विकास नहीं हो पाता है। भारत में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने का एकाधिकार राज्य सरकारों के हाथ में है बच्चों को पाठ्य पुस्तकों द्वारा सरकार की विचारधारा के बोझ से न लाद कर स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना चाहिये।

वर्ष १९४२ में पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया था कि पुस्तकों के प्रकाशन के मामले में प्रकाशकों और सरकार में स्पर्धा होनी चाहिए। पुस्तकों के प्रकाशन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है। स्कूलों के बच्चों के लिए

एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें होनी चाहियें ताकि शिक्षा में नई पद्धति अपनाने की दृष्टि से पुस्तकों का चुनाव आसानी से हो सके। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि शिक्षा को किसी प्रकार की विचारधारा के प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।

उसी वर्ष मुदलियार समिति ने भी पाठ्य पुस्तकों के एकाधिकारों को खतरनाक बताया था। किन्तु इन चेतावनियों के बावजूद भी वर्ष १९५७ में राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में मौलाना आजाद के जोर देने पर राज्य सरकारों को पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का एकाधिकार दिया गया।

सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के बारे में मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में कहा है कि इन पुस्तकों में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। देश के अनेक समाचार-पत्रों ने भी इस सम्बन्ध में बड़ी आलोचना की है। वास्तविकता यह है कि ये पुस्तकें इतनी घटिया किस्म की हैं कि यदि गैर-सरकारी प्रकाशकों को भी सरकार के साथ प्रतिस्पतर्धा करने का मौका दिया जाये तो सरकार द्वारा प्रकाशित एक भी पुस्तक स्कूलों में न पढ़ाई जाये।

मैं बहुत पुराना यह कह रहा हूं कि राज्य सरकारों को पाठ्य पुस्तकों में से नफा कमाने से रोका जाना चाहिए। मैंने इस बारे में चेतावनी दी थी। परन्तु इसकी परवाह नहीं की गयी। चार पांच वर्षों के बाद ही आपने देख लिया है कि इस दिशा में कितनी हानि उठानी पड़ी है। मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकारों को गैर-सरकारी प्रकाशकों के साथ प्रतियोगिता करने दीजिए। इससे एकाधिकार हटेगा और प्रकाशनों का कुछ स्तर निर्माण हो जायेगा।

अब मैं दूसरी बात की ओर आता हूं। वह यह है कि बाजार में जाली पुस्तकें चल रही हैं। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसे कम से कम सात राज्य हैं यहां सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को जाली तौर पर छापने का काम बड़ा व्यापक पैमाने पर चलता है। इस व्यापार के कारण सरकारों को १० करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। पुस्तकों को चोरी छिपे प्रकाशन का काम दो प्रकार से चलता है। एक तो यह कि यह बहुत ही निम्नकोटि के प्रेसों में छपता है। इससे पुस्तकों की कोटि बहुत ही खराब हो जाती है। इसमें जो चित्र इत्यादि छपते हैं वे भी इस तरह से खराब हो जाते हैं। उनमें काफी त्रुटियां रह जाती हैं।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का काम अपने हाथ में न लिया होता तो इस तरह की स्थिति का निर्माण न होता। यह भी सोचने की बात है कि इस तरह आखिर होता क्यों है। इसके तीन कारण हैं, प्रथम यह कि राज्य द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य अधिक होता है तथा वे सुगमता से उपलब्ध नहीं होतीं। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि सरकार अपनी प्रकाशित पुस्तकों पर व्यापारियों को कुछ कमीशन नहीं देती। उन्हें उचित मुनाफा नहीं मिलता जो उन रुचि भी उन पुस्तकों की बिक्री में नहीं रहती। वे लोग चोरी छिपे छपी हुई पुस्तकें बेचते हैं। मेरा मत यह है कि इसका उपचार यही है कि पाठ्य पुस्तकों का राज्य एकाधिकार समाप्त कर दिया जाय और यह काम गैर-सरकारी निकायों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। इस दिशा में राष्ट्रीयकरण से समस्या हल नहीं होगी।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुंजा) : नये शिक्षा मंत्री का यह प्रथम बजट है, हमें इसका स्वागत करना चाहिये और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गत १७ वर्षों की मंत्रालय की कहानी असफलता की कहानी है। कहा गया था कि १९६० तक ६ वर्ष से लेकर १४ वर्ष के बच्चों तक की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त हो जायेगी। परन्तु यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा

सका । और आशा भी नहीं कि १९९० तक इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके । निर्णय किया गया है कि डिग्री का कोर्स तीन वर्ष का कर दिया जाय परन्तु हमारे विश्वविद्यालय इस दिशा में भी मनमानी ही कर रहे हैं । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं में दी जाये । परन्तु इस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया । मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं में अध्यापन आरम्भ करने का कार्य शीघ्र करना चाहिए क्योंकि जो बच्चे स्कूल में सब कुछ प्रादेशिक भाषा में सीखते हैं और उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मंत्रालय को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों को अधिक अच्छे भाव के साथ अपनाना चाहिये । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में किसी राजनीति अथवा व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाना चाहिए शिक्षा का मामला सर्वसाधारण जनता का मामला ही समझा जाना चाहिए । मुख्यतः सभी का ध्यान शिक्षा के गिर रहे स्तर को ऊंचा उठाने की ओर जाना चाहिये ।

शिक्षा आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गयीं आखिर इसका क्या कारण है ? मंत्रालय को आयोग की सिफारिशों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिये । एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह कि केरल में नये कालेज जातियों के आधार पर बांटे गये हैं जैसे नायर ईसाई, मुसलमान आदि । देश के बहुत से भागों में स्कूल और कालेज चलाना नियमित व्यापार है । नौकरी पेशा लोगों के लिए शाम के कालेज शुरू करने चाहियें और विश्वविद्यालयों में पत्र-व्यवहार के पाठ्यक्रमों को विस्तृत करना चाहिये । इससे उन लोगों को अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर मिल जायेगा जिन्हें आर्थिक हालात की वजह से नौकरी करनी पड़ती है । शिक्षा मंत्री महोदय को इस बात की भी पड़ताल करनी चाहिए कि बम्बई में कपड़ा मिलों में काम करने वाले जो लाखों मजदूर हैं उनके बच्चों की शिक्षा का मामला किस स्थिति में है क्योंकि हम यह तो नहीं चाहते कि शिक्षा केवल कुछ लोगों को ही दी जाय । हमें तो शिक्षा को जन साधारण तक ले जाना है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ।

इसके अतिरिक्त मैं भारत सर्वेक्षण में काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । उनके बारे में गत वर्ष भी कुछ चर्चा हुई थी । मेरा निवेदन है कि इन कर्मचारियों को दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के काम नहीं दिये गये । मंत्री महोदय को उनके मामले की जांच करनी चाहिये । इसी प्रकार दिल्ली के स्कूलों में जो कर्मचरारी पढ़ाते नहीं उन्हें वह विशेष भत्ता नहीं दिया जाता जो अन्य विभागों में क्लर्कों को दिया जाता है । अन्त में मेरा यही कहना है कि यदि शिक्षा मंत्री सभी शिक्षा-नीतियों का समुचित समन्वय करने में सफल हो गये तो यह देश की महान् सेवा होगी ।

Shri Sidheshwar Prasad (Na'anda) : I support the demands for grants of the Ministry of Education. But I want to draw the attention of the Government towards this fact that they had not be hable to formulate some national policy in connection with education Generally it is stated Education is a state subject. This may true but centre has also certain responsibility towards it. It is for the first time that we find some change in the policy of Government towards this. In the annual report of 1963-64 the responsibility towards the the growth of the Indian Languages have been recognized. I welcome this change in the Policy of the Government and thank the Minister of Education for this.

It is this lack of some national policy that we lagged behind the other countries in the field of scientific and technical education. Even now adequate provision has not been made by Finance Mninster for education. I may like to draw the attention of the Central Government that even the State Governments are also reducing their percentage of allotment to education in the respective budget. In this state of affairs how the Government would be able to discharge their responsibility to educate the people and spread the education which has been enjoined upon them under the coonstitution. I think our Government cannot do anything effective in this connection until and unless the subject of education is not included in the concurrent list, if not under the union list, according to the recommendations of the Radha Krishnan Commission. I do not think the state Governments will object to it in view of the present situation. We are facing serious educational problems.

The another thing towards which I would like to draw the attention of the Government is the section 351. Central Government. had been entrusted through their Education Department the responsibility of spreading the work of Hindi. I may also state that Gandhjs wanted English to be completely eliminated.

I would also like to say a few words regarding the University Grants Comission. I think the work of the Commission should be reorganized so as to include under its jurisdiction not only affairs of the Universities and Higher Secondary education, but also technical, medical and agricultural education. For this work, it is very necessary to increase the number of Permanent members of the Commission and they should be given more funds for this purpose. I also hope Government. must be considering the proposal of forming the commission for Highr Secondary education also.

have not been able to understand the reasons why the Government have not been able to form a Model Constitution for the universities. Students National Loan Scheme has benefited to a very large extent. As for teaching of the foreign languages. I may stress the need of teaching those languages of the countries with whom we have our diplomatic relations. Various universities should teach the languages and culture of different such countries so that we may know something about them. I also like to state that the work of the Sahitya Academy has not been satisfactory. Through the medium of the academy we should try to bring the different languages near each other.

The number of those who fail in their examinations is increasing day by day. Reason for this is that those who are otherwise unfit for higher education go to the universities for higher studies. We should start vocational centres for training in different technical lines. The number of those who know agricultural and veterinary Science, without such personnel, it will not be possible to achieve success in our plans. Our laboratories should be near the universities. Our university students should take advantage of them in doing their research work. We must also regard education as an investment. We must raise the standard of our education also. For that we shall have to raise the standrad of teachers. The disparity in the teachers salary should also be removed until and unless we satisfy our teachers, it is not possible to have progress in the work of national reconstruction.

श्री मुथिया (तिरुनेल वेली) : शिक्षा द्वारा ही मनुष्य की सुप्त प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति में जो अच्छाई होती है वह बाहर आ जाती है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर भी उसका काफी प्रभाव रहता है। हमारे संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का विषय है, परन्तु इस

दिशा में केन्द्र को भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। देश भर में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं तथा राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें हैं उनकी देखभाल का काम केन्द्र को ही करना होता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद ४५, ४६ और ३५१ के अन्तर्गत जो राज्य नीति के सिद्धान्तों सम्बन्धि निदेश हैं उनको कार्यान्वित करने का दायित्व भी केन्द्रीय सरकार पर आता है।

प्रारम्भिक शिक्षा में काफी प्रगति हुई है और इस दशा में ७५ प्रतिशत का जो लक्ष्य रखा गया था वास्तव में उससे बहुत अधिक कार्य हो चुका है। यह ठीक है कि सभी राज्यों में एक सी प्रगति नहीं हुई। केन्द्रीय सरकार ने १९६३ में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को सहायता देने के लिए दो करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकार किया है। इससे प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के जीवन निर्वाह की हालत काफी सुधरी है। मिडिल स्कूलों का भी विस्तार हो रहा है। तीसरी योजना के अन्तर्गत २८ प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु १९६३-६४ में यह ३२ प्रतिशत हो जायेगा। सात राज्यों ने यह निश्चय कर लिया है कि वह अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देंगे। दूसरे राज्य अभी संकोच कर रहे हैं परन्तु अन्त में वह इसी रास्ते पर आ जायेंगे। महिला शिक्षा की भी सभी स्तरों पर प्रगति हुई है।

मद्रास में त्रिपक्षीय लाभ योजना बहुत अच्छी योजना है और वह अध्यापकों के लिए काफी लाभदायक है। उसका अनुसरण दूसरे राज्यों द्वारा भी किया जाना चाहिये। पात्र विद्यार्थियों के बारे में जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियोंवश असफल रह जाते हैं, उनके श्रेणी में काम को ध्यान में रखा जाय और साथ ही अन्तिम परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त नम्बरों को भी। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा उपकुलपतियों के सम्मेलन में नवम्बर, १९६३ में पारित संकल्प को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाय। विश्वविद्यालयों में शाम के कालेजों और पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रमों की बहुत अधिक आवश्यकता है। देश में शिक्षा सम्बन्धी बढ़ रही आवश्यकताओं के विचार से ८९ करोड़ रुपये के अनुदान बहुत अपर्याप्त हैं।

विद्यार्थियों को पृथकत्व की भावना से रहित आधार पर नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि राष्ट्रीय आचरण ऊंचा हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो। देश की पुरानी संस्कृति को रक्षित रखा जाय तथा उस विषय में अनुसन्धान किया जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नमूने के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय आयोग की स्थापना की जाय। सरकार हिन्दी को देश भर में लोकप्रिय बनाने लिये एक कार्यक्रम पर चले। अध्यापक-शिष्य सम्बन्धों को सुधारने के लिये पग उठाए जायें। सभी कालेजों में अध्यापक के वेतन-क्रम अच्छे बनाए जायें, और अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की जाय। सरकार मद्रास राज्य में प्रस्तावित मदुराई विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शीघ्र किए जाने को सुनिश्चित करे।

Dr. Mahadeva Prasad (Maharajganj) : Our educational system has not undergone any changes after independence. If its aim is to enable a student to get a degree, in that aim also it has failed. The pass percentages have been going down every year. In "Secondary Education", a book published by the Ministry of Education, it is stated that the main cause for low pass percentages is poor knowledge of English. It is very unfortunate that emphasis should continue to be given to the English. language. If it has been correctly reported in the press, our Education Minister has said in Madras that Hindi should not be imposed on South Indians and Bengalis. He is also going to stress this point in the Education Ministers' Conference to be held shortly that English should be taught from the third standard. This is the impression that we get

2677(Ai- DSL—6.

from the Report of the Education Ministry. If such is the attitude of the Government then it is very difficult to bring about integration in the country. We cannot bring north and south closer to each other if Hindi is put in the rear guard.

Because English is the medium of instruction for all the higher education of the country, it puts great burden on the students. Thinking in a foreign language is far too great a strain on them. It crushes their individuality and power of independent thought.

Our present educational system is aimless. It should have a close relation ship with our social objectives. There is under employment in our country.

Two classes have come into being. One is the rich class and the other is labour class. The aim of our education should be to eliminate these classes. Its aim should be to reduce economic disparities. Our country cannot make rapid acdvancement unless there is correlation between education and the socialist pattern of society. There are nursery schools for the children of the rich people and tattered schools for the poor children. Unless labour-oriented reorganisation of our educational system takes place. we cannot bring about socialism in our country.

The aim of education should be not only to raise the standard of living but to raise the values of life also. We should have a comprehensive policy in regard to education. Primary schools should be made the centre of social acivity in the villages.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The Members of the Treasury Benches should be asked to learn Hindi if they are to fulfil the requirement of the Constitution. The Education Minister should impress this thing upon them. The hon. Minister said in Madras that Hindi should not be imposed on anybody. I do not understand whey the word 'imposed' is used in regard to Hindi. As provided in the Constitution Hindi is to take the pride of place in our country and English also would continue as an associate language. No doubt, now Hindi speaking people should be given ample opportunity to earn Hindi to catch up with Hindi-speaking population of the country. We should put a stop to the talk of imposition of Hindi once for all.

The working of the teachers' training colleges wherever they have been set up should be made more vigorous.

{श्री खाडिलकर पीठासीन हुए}
{SHRI KHADILKAR *in the Chair*}

Indiscipline among college students is on the increase day by day. It is the duty of the Education Ministry to make a proper enquiry into such cases of indiscipline and take suitable action to check growing indiscipline among students.

So far as primary education is concerned, we have not made adequate arrangements in this regard. There is not enough accommodation in the schools and there are no play grounds also. Teachers are ill-paid. Immediate attention should be paid to this matter. Text-books should be supplied in time. The poorer sections of society continue to be neglected as before. Government should ensure that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes children are given scholarships in time so that they can pursue their studies further.

The object of our education should be to raise the moral standards of the people. The children should, therefore, be given moral education. Government should attach topmost importance to this subject.

We would like to know how far and in what manner the Central Institute of English in Hyderabad is fulfilling the objective for which it has been set up.

A uniform system of high school or higher secondary education should be introduced in all the States.

Hindi should be made the medium of instruction along with other regional languages. We should adopt Hindi without delay so that we can make rapid advancement in the field of higher education. More stress should be laid on the teaching of moral values rather than increase the number of the educated people numerically.

The Higher Secondary School teachers posted in villages should be provided with residential accommodation.

Political considerations should not come in the way of opening new schools. Opening of schools should not be made a basis for asking for votes or for donations. Such acts amount to corrupt practices and should be recognised as such.

In view of the present unsatisfactory State of our primary education, it is not advisable to hand it over to village panchayat Samitis. Government should give a serious thought to this matter. The primary teachers should not be left at the mercy of panchayat sarpanches.

डा० च० भा० सिंह (बिलासपुर) : देश में प्राथमिक शिक्षा की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। २,००० और इससे भी अधिक जनसंख्या वाले गांवों में प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था नहीं की गई है। हम राष्ट्रीय आय का केवल २.८ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं। यह राशि पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि शिक्षा मंत्री को प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिये। प्राथमिक शिक्षा राज्यों का विषय है अतः शिक्षा को बिना विलम्ब समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिये। प्रत्येक गांव में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जानी चाहिये। मिडिल उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय, अर्थात् प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के स्तर गिर गये हैं। प्रत्येक मैट्रिक पास छात्र को विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। केवल चुने हुए छात्रों को कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलना चाहिये। सरकार को पुराने तरीकों को त्याग देना चाहिये और इस बारे में शीघ्र निर्णय करना चाहिये। निर्णय न करने से देश में शिक्षा के हित को हानि पहुंच रही है।

तकनीकी शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें देश में उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर डाक्टरी कालिज पर्याप्त संख्या में नहीं हैं जिससे देश में डाक्टरों की बड़ी कमी है। कृषि शिक्षा तथा अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में भी यही स्थिति है। अतः हमें बिना विलम्ब शिक्षा पर अधिक राशि व्यय करनी चाहिये ताकि तकनीकी शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके।

मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री ने लगभग ८० समितियां समाप्त कर दी हैं। ऐसी समितियों को समाप्त किया हो जाना चाहिये क्योंकि वे कोई लाभप्रद कार्य नहीं करती हैं।

शिक्षा मंत्रालय को चिकित्सा छात्रों के लिये सस्ती पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का काम हाथ में लेना चाहिये। चिकित्सा पाठ्य पुस्तकें बहुत महंगी हैं जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा छात्र उन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। इस महत्वपूर्ण विषय की ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये और चिकित्सा छात्रों को सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्राथमिक स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिये। हर लड़के तथा लड़की को जीवन के मूल्यों का पता होना चाहिये। प्रत्येक गांव में एक गांधी कुटी होनी चाहिये जहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा सके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक स्कूल में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था हो।

गवेषणा कार्य करने वालों की एक विशेष पदाली होनी चाहिये। जिन व्यक्तियों में यह कार्य करने की योग्यता हो, उन्हें ही यह कार्य करना चाहिये। वे ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जिन्होंने स्कूल तथा कालेज परीक्षाओं में ८० प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों। गवेषणा कर्ताओं को विशष सुविधायें दी जानी चाहियें। तभी देश में वास्तविक गवेषणा कार्य किया जा सकता है।

Shri Y. S. Chaudhary (Mahendragarh) : Mr. Chairman, sir, several members have spoken on these demands and all of them without exceptions have subscribed to this opinion that not even one per cent success has been achieved in the field of education. I wonder whether the situation would repeat itself next year too or whether the new Education Minister would be able to remove the bottleneck and promote the cause of education. The statement so imphatically made from various plat forms that education has remained stagnant for the last sixteen or seventeen years is a sort of ordeal for the new Education Minister from which he should come out successfully.

I share the opinion of my previous speaker in saying that monthly concrete has been done in this field except making few experiments such as substituting high school system with higher secondary one and introducing basic education which was so much backed upon. But how far we have progressed in this direction would become evident from the remarks made by a senior teacher of Jamia Milia, a basic centre, of great prominence, that the word basic would become a thing of history after five years with no connection with these schools whatsover.

About other things the utmost they have done is to set up this or that committee which, no doubt, is a good device for side trading the main issue. Nothing concrete has been accomplished by these committees except having tours of this or that place and enjoying the parties as I know from my own experience at Benaras Hindu University.

It is the responsibility of the Education Minister to give effect to the feelings of the House. The old system of education introduced by Macaulay which was designed only for the purpose of preparing Office Clerks should be radically changed. It is necessary to inculcate discipline in the students. The question of changing curriculum and examination system should be thoroughly studied. For taking these radical steps it is necessary that the Education Minister is such that he is able to ward off the effect of age-old thinking of educational officers. We hope that the new Minister will not allow himself to fall a prey to their way of thinking.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Much has been done in the direction of promoting the technical education. But it is regrettable that the art side has been completely neglected.

Our education system is such that even graduates remain ignorant as far as general knowledge is concerned. To cite an example, Shri Sachchachidanand Riranand Uortsayan, a prominent write of India, during histour of Europe was introduced to the writers of one of the European countries by our cultural attache posted there, as the author of *Kamasutras*, a book written over a thousand of years ago.

In the report of Education Ministry only a few lines have been included by way of giving information about the Archaeological Department which is an important department dealing with the cultural heritage of India. The amount being allotted for this department has also been reduced.

I would like to make one more suggestion in this regard one of the tasks with which this department is busy is to conduct excavations with a view to finding out remains which may reveal the characteristics of the history of Rigveda era.

My suggestion is that excavations should be carried on in the place around Sarsa village situated on Indo Pak border. The clues found so far indicate that the village might be Saraswat Nagar described in Rigveda".

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : श्रीमान्, मैं नए शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री का स्वागत करता हूं। श्री मसानी ने पाठ्य पुस्तकों का उल्लेख करते हुए, कुछ राज्यों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के सम्बन्ध में जिन में पंजाब भी सम्मिलित है, कहा है कि इन राज्यों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में कई गम्भीर अशुद्धियां हैं। पंजाब के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि उन्होंने इन पुस्तकों को ध्यान पूर्वक नहीं देखा। वास्तविक बात यह है कि छात्रों की बुद्धि परीक्षा के लिये पुस्तकों के अन्त में कुछ अभ्यास दिए होते हैं जिनमें अशुद्ध बातें लिखी होती हैं जैसे लुधियाना एक बड़ा बन्दरगाह है। किन्तु अब ऐसी बातें नहीं होतीं। यह सच है कि कुछ मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियां हो जाती हैं ; किन्तु ये अशुद्धियां निजी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में भी होती हैं। जहां तक पुस्तकों के जाली प्रकाशन का सम्बन्ध है, उनकी स्वयं की पुस्तक 'अवर इंडिया' का जाली प्रकाशन हुआ था।

मेरा अपना अनुभव है कि पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में सरकार काफी सफल रही है।

शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने जो सफलतायें प्राप्त की हैं उनका उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जिनका यह मत है कि इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। उदाहरणार्थ वर्षों से यह आवाज उठाई जा रही है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह बात अवश्य है कि शिक्षा के सम्बन्ध में प्रगति आशानुकूल नहीं हुई है। और स्वतन्त्रता के बाद हमने पिछली शिक्षा पद्धति में कोई संशोधन नहीं किया है। हमारी शिक्षा प्रणाली निर्जीव और यांत्रिक है यह हमें अच्छे नागरिक नहीं दे पाई। इसका कारण क्या है ?

दुष्यन्त ने शकुन्तला की हूबहू तस्वीर बनाई, किन्तु उसे संतोष नहीं मिला उसे प्रेरणा नहीं मिली। क्योंकि उसने पृष्ठ भूमि नहीं बनाई थी। यही स्थिति शिक्षा की है। सब कुछ है किन्तु भारतीय पृष्ठ भूमि नहीं है। मैंने एक सैनिक स्कूल में जाकर देखा कि यदि कोई बच्चा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में बोलता है तो उसे सजा दी जाती है। हमारी शिक्षा पद्धति में प्रजातन्त्रीय भावना नहीं है। यदि अध्यापक का कहना नहीं माना जाता तो स्कूल से बाहर कर दिया जाता है।

बुनियादी शिक्षा को इसी ध्येय से चालू किया गया था। किन्तु हम उस दिशा में प्रगति नहीं कर पाये दो वर्ष पहले माननीय उपराष्ट्रपति ने जो बुनियादी शिक्षा के प्रतिष्ठित लेखक हैं कहा था कि आज-कल की दुनिया में शिक्षा नकली है। इन दो वर्षों में भी हमने इसकी प्रगति के लिये कुछ नहीं किया।

जहां तक इतिहास का प्रश्न है अब भी वही इतिहास पढ़ाया जाता है जो अंग्रेजों ने तैयार करवाया था और जिस का ध्येय ही देश में फूट डालना था। उसी इतिहास की शिक्षा के कारण लोगों में राष्ट्रीय भावना का, एकत्व की भावना का अभाव है। राष्ट्रीय एकता समिति ने भी कहा था कि इतिहास को पुनः लिखा जाये। किन्तु इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं किया गया।

मैं हिन्दी को लादे जाने के विरुद्ध हूं किन्तु साथ ही मैं इस बात के भी विरुद्ध हूं कि अंग्रेजी को लाया जाये। अंग्रेजी ने शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। हम सामान्य जनता से दूर होते जा रहे हैं। वह सच है कि हिन्दी ही राष्ट्र भाषा हो सकती है, किन्तु अभी ऐसी हिन्दी का निर्माण किया जाता है और यह भाषा समस्त भारतीय भाषाओं के मेल से बनाई जानी चाहिये। मेरा विचार है कि समस्त भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिये।

कहा जाता है कि वैज्ञानिक विषय हिन्दी के माध्यम से नहीं पढ़ाए जा सकते। यह तर्क युक्तिपूर्ण नहीं है। अफगानिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में उनकी अपनी भाषाओं में सारे विषयों की शिक्षा दी जाती है।

१९५१ में वैज्ञानिक अनुसंधान एक पृथक मंत्रालय था। १९५७ में इसे शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलाया गया किन्तु १९५८ में इसे फिर से पृथक कर दिया गया। अब इसे फिर शिक्षा मंत्रालय में मिला दिया गया है। मेरा सुझाव है कि चूंकि विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है अतः मंत्रालय का नाम इस प्रकार रखा जाय कि विज्ञान शब्द का महत्व प्रकट हो सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों को स्थायी किया जाये। वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में अधिक अनुदान दिये जायें। अनुदानों की जो राशि, व्यय न किए जाने के कारण व्यपगत हो गई है उसे फिर से मंजूर किया जाये।

अध्यापकों की प्रतिष्ठा को अधिक उन्नत किया जाये।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : श्रीमान्, खेल कूद के क्षेत्र में हमारी स्थिति पहले की अपेक्षा गिरती जा रही है। आशा है नए मंत्री महोदय इस क्षेत्र में उन्नति किए जाने के सम्बन्ध में प्रयत्न करेंगे।

कुल १५३ पृष्ठों के प्रतिवेदन में खेलकूद के लिये कुल ८ पृष्ठ रखे गये हैं। यहां कई प्रकार के खेल, क्रिकेट, हाकी, टेनिस, फुटबाल, तैरना, घुड़सवारी, पर्वतारोहण, कुश्ती, योग आदि हैं और उन सब की उपेक्षा की गई है। खेल-कूद के क्षेत्र में भी दल बन्दी का बोलबाला है। खेल-कूद केवल राजाओं महाराजाओं और धनी वर्ग के लिये ही नहीं है। जब तक धनी निर्धन सभी को समान अवसर नहीं दिया जायेगा। इस क्षेत्र में उन्नति नहीं होगी।

क्रिकेट में हमारी स्थिति शोचनीय है। ४० करोड़ की जनसंख्या में से हमें ऐसे १३ खिलाड़ी नहीं मिल पाते जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिये भी तैयार रहें। केवल कम उम्र के लड़के इस के लिये उत्सुक दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में हमें अच्छे गेंदबाज उपलब्ध नहीं हो पाते। मैं चाहता हूं कि खेलकूद के क्षेत्र से बड़े बड़े कैप्टेन और नेता हट जायें और यह कार्य सरकार को सौप दें। अब समय आ गया है कि इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए जायें।

इंग्लैंड के समाचारपत्र क्रिकेट को लेकर हमारी हंसी उड़ाते हैं। हमारे यहां की जनसंख्या काफी बड़ी है। किन्तु खेल-कूद के क्षेत्र का नेतृत्व किसी विशेष गुट के हाथ में है और वह दूसरों को इस क्षेत्र में नहीं आने देता। क्रिकेट मैच और क्रिकेट उत्सवों की प्रवेश शुल्क इतनी ऊंची होती है कि गरीब वर्ग के बच्चे वहां नहीं जा सकते। क्या उन्हें इन कार्य कलापों में भाग लेने का अधिकार नहीं है? सरकार को इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि वे लोग निःशुल्क इन उत्सवों में भाग ले सकें।

रूस टेनिस का चेम्पियन होने जा रहा है। आस्ट्रेलिया में बचपन से ही बच्चों को टेनिस सिखाया जाता है। किन्तु हमारे यहां प्रतिभावान बच्चों को टेनिस खेलने की सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती। क्रिकेट मैचों से जो आय होती है उसे बच्चों को खेल की व्यवस्था करने के लिये व्यय किया जाता है। योग की शिक्षा के सम्बन्ध में भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हॉकी के सम्बन्ध में भी अब हमारी स्थिति कमजोर है। हम पाकिस्तान से हॉकी में हार गए हैं। युवकों को हॉकी का प्रशिक्षण देने की उचित व्यवस्था नहीं है।

१९४८ में मैं दो अन्य साथियों के साथ चेकोस्लोवाकिया के खेल-कूद उत्सव में सम्मिलित हुआ था। वहां की जनसंख्या के अनुपात को देखते इतने व्यक्तियों ने खेलों में भाग लिया था जितना दुनिया के किसी और भाग में देखने को नहीं मिलता। वहां की आबादी १ करोड़ है जब कि खेल में भाग लेने वालों की संख्या १ लाख थी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जिन्हें सार्वजनिक जीवन का अत्यधिक अनुभव प्राप्त है इस क्षेत्र में नये जीवन का संचार करेंगे।

फुटबाल की भी यही स्थिति है। खिलाड़ियों को उचित प्रकार के जूते भी उपलब्ध नहीं हो पाते। वहां की लड़कियां भी हॉकी की खिलाड़ी हैं और दुनिया के अन्य देशों में मैच आदि के लिये जा सकती हैं। किन्तु न तो पैसा ही है और न अनुदान ही मिलता है। खेल परिषद् भी कुछ नहीं कर रही। सरकार को चाहिये कि इस कार्य को हाथ में ले ले। वह युवकों के हित में होगा।

बीकानेर के महाराजा दुनियां का दौरा कर रहे हैं और शूटिंग के सम्बन्ध में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी १२ वर्षीय पुत्री भी शूटिंग की चैम्पियन हो गई है। हमें भारतीय बच्चों के लिये अनुदान और विदेश मुद्रा की सुविधायें देनी चाहियें। वे प्रतिभावान हैं। यदि एक भी भारतीय हाथ में स्वदेश का झंडा लेकर विदेश के किसी खेल के मैदान में उतरता है तो यह देश के लिये गौरव की बात है।

हमें हिच-हाइकिंग के खेल की उन्नति के लिये भी प्रयत्न करना चाहिये।

पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देना और देश में अच्छे पर्वतारोही तैयार करना सीमान्त की रक्षा की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

गोल्फ और पोलो अमीरों के खेल हैं। उनके लिये वे लोग ही धन की व्यवस्था करेंगे किन्तु अन्य खेलों के लिये आवश्यक धन जुटाने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहियें।

स्विमिंग पूल और घुड़-सवारी की सुविधायें स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के लिये शुल्क-रहित उपलब्ध होनी चाहिये।

श्री ए० एफ० एस० तलयारखां और महाराजकुमार विजय आनन्द जैसे व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाना चाहिये जो खेल-कूद के मामले में काफी दिलचस्पी रखते हैं। राष्ट्रीय स्टेडियमों के

लिये जो राशि नियत की गयी है वह बहुत अपर्याप्त है। मैं चाहता हूं कि यह सभा एक समिति के तौर पर खेल-कूद एवं नृत्य आदि के हितों की ओर ध्यान दे ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कछार) : मैं शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं ।

यह एक उत्साहवर्धक बात है कि तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों से भी बढ़ कर काम हुआ। परन्तु शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन से जाहिर है कि विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ। मैं जानना चाहती हूं कि मद्रास, गुजरात और पंजाब के अतिरिक्त अन्य राज्यों में लक्ष्य प्राप्त न हो सकने के क्या कारण हैं ।

पश्चिम बंगाल में प्राईमरी शिक्षकों के वेतन बढ़ा दिए गये हैं। उड़ीसा और आसाम में मंहगाई भत्ते में जो असमानता थी वह दूर कर दी गई है। मैं आशा करती हूं कि प्राईमरी शिक्षकों को अति-आयु लाभ तीसरी योजना की अवधि में ही दे दिये जायेंगे ।

विद्यार्थियों को खाना उपलब्ध करने सम्बन्धी योजना को आसाम में कार्यरूप नहीं दिया जा सका। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आसाम को वित्तीय सहायता दी जाय तो यह योजना वहां क्रियान्वित की जा सके ।

शिक्षा में सुधार लाने के लिये यह अनिवार्य है कि श्रेणियों में विद्यार्थियों की भीड़ कम हो और एक श्रेणी के लिये एक निश्चित संख्या विद्यार्थियों की निर्धारित की जाय। ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि ५९ विद्यार्थियों की तो एक श्रेणी हो परन्तु यदि ६० विद्यार्थी हो तो उन के लिये दो श्रेणियां बना दी जायें। शिक्षकों की नियुक्ति गुणों के आधार पर होनी चाहिये और उन के वेतन बढ़ने चाहियें। अन्यथा शिक्षा में सुधार की आशा नहीं की जा सकती ।

प्रतिवेदन के अनुसार स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद् की सिफारिशों को कार्य रूप दिया जाना चाहिये ।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली छात्र वृत्तियों की संख्या बढ़ा दी गयी है, जिस से आर्थिक दृष्टि से दुर्बलतर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। परन्तु आसाम राज्य में पिछड़े वर्गों के बच्चों को यह छात्रवृत्तियां ठीक समय पर नहीं दी जाती जिसके कारण वह किताबें आदि नहीं खरीद सकते। इस लिये मेरा अनुरोध है कि उस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों की हिदायतें जारी की जायें ।

केन्द्रीय सरकार तो संस्कृत की शिक्षा की ओर उपयुक्त ध्यान देती है। परन्तु यह खेद का विषय है कि आसाम में संस्कृत स्कूलों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को वेतन तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम मिलते हैं। अत : राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहिये ।

अपाहज बच्चों और वयस्कों को शिक्षा तो दी जाती है परन्तु उन के पुनर्वास की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

पूर्वी पाकिस्तान से जो विद्यार्थी आसाम आ रहे हैं उन से प्रवजन -पत्र की मांग किये बगैर ही, परीक्षा लेकर, उन्हें स्कूलों और कालेजों में दाखिला मिल जाना चाहिये ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाली निराश्रित लड़कियों और स्त्रियों को शिक्षा सम्बन्धी सभी सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें ।

सिलचर में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जाना चाहिये जो कि मनीपुर, त्रिपुरा, मिजो पहाड़ी जिला, कछार आदि की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। माननीय मंत्री अपने पूर्वाधिकारी के समान इस के लिये वचन बद्ध हैं।

लोगों के आचरण को ऊंचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि स्कूलों में नैतिक, धार्मिक तथा भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी शिक्षा दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १२ मार्च, १९६४ / फाल्गुन, २२ १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 12th March, 1964/Phalguna 22, 1885 (Saka).